

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 जनवरी 2015—पौष 17, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र. 149-5-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 जनवरी, 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१५

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१५

दिनांक ६ जनवरी, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ७ जनवरी, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१४ है. संक्षिप्त नाम.
२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, प्रथम परन्तुक में, शब्द "अनुसूची में समाविष्ट अपवादों के अधधीन रहते हुए" का लोप किया जाए. धारा ३ का संशोधन.
४. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:— अनुसूची १-क का स्थापन.

“अनुसूची १-क

लिखतों पर स्टाम्प शुल्क (धारा ३ देखिए)

लिखतों का वर्णन (१)	उचित स्टाम्प शुल्क (२)
१. अभिस्वीकृति किसी ऋण की रकम या मूल्य में पांच सौ रुपये से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी बही में (जो बैंककार की पासबुक से भिन्न है) या किसी पृथक् कागज के टुकड़े पर, लिखी जाय या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो.	दस रुपये.
२. अभिस्वीकृति किसी ऐसे अन्य विलेख के लेखे प्रतिफल के भुगतान की प्राप्ति की, जिसे पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किया गया है.	पांच हजार रुपए.
३. प्रशासन बंधपत्र , जिसके अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ (१९२५ का ३९) की धारा २९१, ३७५ और ३७६ तथा गवर्मेन्ट सेविंग्स बैंक एक्ट, १८७३ (१८७३ का ५) की धारा ६ के अधीन दिया गया बंधपत्र है.	वही शुल्क जो ऐसी रकम के लिये बंधपत्र (क्र. १४) पर लगता है.
४. दत्तक विलेख , अर्थात् कोई लिखत (वसीयत से भिन्न) जो दत्तक-ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक-ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है.	दो हजार रुपये.

(१)

(२)

५. शपथ-पत्र अर्थात् लिखित में किया गया कोई कथन जो तथ्यों के कथन के लिये तात्पर्यित है जो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है और जिसकी पुष्टि उसके द्वारा शपथ पर या उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें विधि द्वारा घोषणा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, प्रतिज्ञान द्वारा की गई है।

पचास रुपये.

६. करार या करार का ज्ञापन—

(क) यदि वह विनिमय-पत्र के विक्रय से संबंधित है;

प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.

(ख) (एक) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित है;

अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रतिभूति के यथास्थिति, क्रय या विक्रय के समय उसके मूल्य के प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.

(दो) यदि वह किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर, स्ट्रिप, बंध-पत्र, डिबेन्चर, डिबेन्चर-स्टाक या इसी प्रकार की विपण्य प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित है।

अपरिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में, यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए दो रुपये; तथा परिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.

(ग) यदि वह किसी विनिर्माता या किसी कारबार, व्यवहार ज्ञान, ब्रांड नाम, व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) या इसी प्रकार के किसी अन्य कारबार के स्वामी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे विनिर्माता या कारबार के स्वामी के व्यवहार ज्ञान, ब्रांड नाम व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) आदि का उपयोग करते हुए कारबार या अन्य क्रियाकलाप करने की दी गई अनुज्ञा से संबंधित है, अर्थात् फ्रेंचाईज का करार है।

दस हजार रुपए.

(घ) यदि वह भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि के विकास एवं /अथवा उस पर भवन के निर्माण से संबंधित है—

(एक) यदि उसमें यह अनुबंध हो कि विकास के पश्चात् ऐसी विकसित सम्पत्ति या उसका भाग विकासकर्ता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, स्वामी/पट्टेदार के साथ या तो पृथकतः या तो संयुक्ततः धारित/विक्रय किया जाएगा—

वही शुल्क, जो विकसित किये जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के केवल उस भाग के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगता है जो कि विकासकर्ता द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः धारित/विक्रीत की जाने वाली विकसित सम्पत्ति के अनुपात में हो, या उस शुल्क का आधा जो विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगता है, इनमें से जो भी अधिक हो,

(दो) उपरोक्त (एक) के अंतर्गत न आने वाले मामलों के लिए.

न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, विकास के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य का ०.२५ प्रतिशत.

(१)

(२)

स्पष्टीकरण.—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए—

(एक) 'विकास' एवं 'विकासकर्ता' का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २ (च) एवं मध्यप्रदेश स्पेशल प्रोजेक्ट एण्ड टाउनशिप, (विकास, विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, २०११ के नियम २(१)(ख) में क्रमशः उनके लिए दिया गया है.

(दो) जहां सम्पत्ति संयुक्तः धारित/बिक्रीत की जाती हो, परन्तु दस्तावेज में विकासकर्ता का अंश अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित न हो, वहां विकासकर्ता का अंश १०० प्रतिशत समझा जाएगा.

(ड) यदि वह स्थावर संपत्ति के विक्रय से संबंधित है—

(एक) जब संपत्ति का कब्जा हस्तांतरण-पत्र निष्पादित किए बिना परिदत्त किया जाता है या परिदत्त किए जाने का करार किया जाता है;

(दो) जब संपत्ति का कब्जा नहीं दिया जाता है;

(च) यदि वह स्थावर संपत्ति के भाड़ा-क्रय से संबंधित हो;

(छ) यदि किसी उधार या ऋण के पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने से संबंधित हो;

(ज) यदि अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो.

वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

एक हजार रुपए.

वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है

अधिकतम पांच लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, उधार या ऋण की रकम का ०.२५ प्रतिशत.

पांच सौ रुपए.

७. **हक-विलेखों के निक्षेप, पण्यम, गिरवी या आड़मान से संबंधित करार अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित करार को साक्षित करने वाली कोई लिखत—**

(क) ऐसे हक-विलेखों या लिखतों का निक्षेप जिससे किसी संपत्ति पर (विपण्य प्रतिभूति से भिन्न) हक का साक्ष्य हो जाता है, जहां कि ऐसा निक्षेप, उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में किया गया है;

(ख) जंगम संपत्ति का पण्यम, गिरवी या आड़मान, जहां ऐसा पण्यम, गिरवी या आड़मान उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में किया गया है.

अधिकतम पांच लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम का ०.२५ प्रतिशत.

अधिकतम पांच लाख रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, उधार या ऋण की रकम का ०.२५ प्रतिशत.

(१)

(२)

स्पष्टीकरण-एक—उधार में अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए हक-विलेखों के निक्षेप अथवा पण्यम, गिरवी या आड़मान की उच्चतर रकम की प्रतिभूति से संबंधित लिखत पर केवल अतिरिक्त रकम पर शुल्क प्रभार्य होगा, यदि पूर्व लिखत पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया है।

स्पष्टीकरण-दो—इस अनुच्छेद के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश में या किसी प्राधिकारी के आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हक-विलेखों के निक्षेप से संबंधित किसी पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को चाहे वह हक-विलेखों के निक्षेप किये जाने के पूर्व या ऐसे निक्षेप के समय या उसके पश्चात् लिखा गया है या बनाया गया है, और चाहे वह प्रथम उधार के लिए या बाद में लिये गये किसी अतिरिक्त उधार या उधारों के लिए प्रतिभूति के संबंध में हो, ऐसे पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को ऐसे हक-विलेखों के निक्षेप से संबंधित किसी पृथक् करार या करार के ज्ञापन के अभाव में, हक-विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार को साक्ष्यित करने वाली, लिखत समझा जायेगा।

- | | | |
|-----|--|--|
| ८. | मुख्तारनामा के निष्पादन में, न्यासियों का नियुक्त किया जाना या जंगम या स्थावर संपत्ति पर नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो वसीयत न हो, किया गया हो; | पांच सौ रुपये. |
| ९. | आंकना या मूल्यांकन, जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर अन्यथा किया गया है। | पांच सौ रुपये. |
| १०. | शिक्षुता विलेख, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है, जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिये रखा गया है; | दो सौ रुपये. |
| ११. | कम्पनी के अनुच्छेद—

(क) जहां कम्पनी के पास अंशपूजी (शेयर केपीटल) नहीं है;

(ख) जहां कंपनी के पास अभिहित अंशपूजी है या अंश पूजी बढ़ाई गई है; | पांच हजार रुपये.

न्यूनतम पांच हजार रुपए तथा अधिकतम पच्चीस लाख रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी अभिहित या बढ़ाई गई अंशपूजी का ०.१५ प्रतिशत. |
| १२. | पंचाट अर्थात् वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो वर्तमान या भविष्य | पंचाट की रकम या पंचाट से संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य का, इनमें से जो भी अधिक हो, २ प्रतिशत. |

(१)

(२)

के मतभेदों को माध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए लिखत करार के फलस्वरूप किया गया पंचाट है तथा जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है;

१३. बैंक प्रत्याभूति, किसी बैंक द्वारा संविदा के सम्यक् अनुपालन या दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने के लिए प्रतिभू के रूप में निष्पादित प्रत्याभूति विलेख.
१४. **बंधपत्र**, जो डिबेंचर नहीं है तथा जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का ७) द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है;
१५. **पोत बंधपत्र**, अर्थात् कोई लिखत जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है जिससे वह पोत का परिरक्षण करने में तथा उसकी समुद्र-यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके.
१६. पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को रद्द करने की लिखत यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है.

अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, रकम का ०.२५ प्रतिशत.

- (क) न्यूनतम पांच सौ रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रतिभूत रकम या मूल्य का ०.५ प्रतिशत.
(ख) जहां मूल्यांकन संभव नहीं है, वहां पांच सौ रुपए.

वही शुल्क जो उतनी ही रकम के बंधपत्र (क्र. १४) पर लगता है.

पांच सौ रुपए

स्पष्टीकरण-एक—यदि मूल लिखत पर स्टाम्प शुल्क मूल्य के आधार पर भुगतान किया गया हो, तो रद्द करने की लिखत पर शुल्क मूल लिखत के अनुसार प्रभार्य होगा.

स्पष्टीकरण-दो—यदि मूल लिखत पर स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य के आधार पर भुगतान किया गया हो, तो रद्द करने की लिखत पर शुल्क प्रचलित बाजार मूल्य पर मूल लिखत के अनुसार प्रभार्य होगा.

१७. मध्यप्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् (बार काउंसिल) द्वारा, अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २५) की धारा २२ के अधीन जारी किया गया नामांकन प्रमाण-पत्र.
१८. नोटरी अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ५३) की धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र या उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीकरण का पृष्ठांकन.
१९. ऐसी प्रत्येक संपत्ति के बारे में, जो अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई गई है और बेची गई है, का विक्रय प्रमाण-पत्र, जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई संपत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया है.

एक हजार रुपए.

दो हजार रुपए.

वही शुल्क जो केवल क्रय धन की रकम के लिए हस्तांतरण पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

(१)

(२)

२०. **प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज** जो उसके धारक के किसी अन्य व्यक्ति की किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के या उसके किन्हीं शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक संबंधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कम्पनी या निकाय में के या उसके शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्षित करता है।

शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक के मूल्य के प्रत्येक एक हजार रुपए या उसके भाग के लिए एक रूपया।

२१. भाड़े पर पोत लेने की संविदा, अर्थात् (कर्षवाप नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत, जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो।

एक सौ रुपए।

२२. **समाशोधन सूची—**

(क) यदि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है;

अधिकतम पांच हजार रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में प्रतिभूतियों के उस मूल्य पर जो यथास्थिति, मिलान (Making-up) कीमत या संविदा कीमत पर संगणित की गई है, के प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।

(ख) यदि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत किसी निगमित कंपनी या निगमित निकाय में के शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या इसी प्रकार की अन्य विपण्य प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है।

अपरिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए दो रुपये; तथा परिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।

२३. **प्रशमन विलेख**, अर्थात् किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन-धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा लेनदारों द्वारा नाम-निर्दिष्ट निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञा-पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदे के लिए चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है।

दो हजार पांच सौ रुपये।

२४. किसी प्रतिफल के बिना **सहमति विलेख** जो पूर्व में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले किसी दस्तावेज का भाग बन गया है।

एक हजार रुपये।

२५. **हस्तांतरण-पत्र**, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक ६१ के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है।

उस संपत्ति के जो कि हस्तांतरण-पत्र की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य या उसमें उपवर्णित प्रतिफल की रकम का, इनमें से जो भी अधिक हो, का पांच प्रतिशत।

परन्तु—

स्पष्टीकरण:— इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये किसी संपत्ति का, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किसी हस्तान्तरण पत्र की विषय-वस्तु है, बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जो लिखत में दर्शाया गया है।

(क) जहां कोई लिखत कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा २३२ एवं २३४ के अधीन अधिकरण/न्यायालय के आदेशों के अधीन या बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) की धारा ४४-क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अधीन कंपनियों के विलीनीकरण या समामेलन से संबंधित हो, वहां प्रभार्य शुल्क, उस अंतरित स्थावर संपत्ति, जो कि

(१)

(२)

मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थित है, के बाजार मूल्य के ५ प्रतिशत के बराबर रकम या ऐसे अंतरण के विनिमय में या अन्यथा जारी या आवंटित शैयों के बाजार मूल्य तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम के योग का ०.५ प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगा;

- (ख) जब कोई लिखत किसी ऋण के समनुदेशन से संबंधित हो, शुल्क की दर समनुदेशित ऋण की रकम का ०.२५ प्रतिशत होगी;
- (ग) जहां किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए करार किसी हस्तांतरण-पत्र के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित किया गया हो तथा ऐसे करार के अनुसरण में कोई विक्रय-पत्र तत्पश्चात् निष्पादित किया जाता है, वहां ऐसे विक्रय-पत्र पर शुल्क न्यूनतम १००० रुपये के अध्यधीन रहते हुए पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा;
- (घ) जहां किसी अभिकर्ता को स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करने का मुख्तारनामा किसी हस्तांतरण-पत्र के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित किया गया हो तथा ऐसे मुख्तारनामे के अनुसरण में, मुख्तारनामे के निष्पादक तथा उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में इसे निष्पादित किया गया है, के मध्य कोई विक्रय-पत्र निष्पादित किया जाता है, वहां ऐसे विक्रय-पत्र पर शुल्क, न्यूनतम १००० रुपये के अध्यधीन रहते हुए, पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा;
- (ङ) जहां कोई बंधक विलेख या कोई बंधक करार अनुच्छेद ४३ के अधीन किसी बंधक के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, तथा बंधक संपत्ति या किसी बंधक विलेख के विरुद्ध फाईल किये गये किसी वाद के अनुसरण में कोई न्यायालयीन डिक्री निष्पादित की जाती है, वहां ऐसी डिक्री या बंधक विलेख पर देय शुल्क, न्यूनतम रुपये १००० के अध्यधीन रहते हुए, अनुच्छेद ४३ के अधीन ऐसे बंधक-विलेख पर पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा;
- (च) जहां किसी लिखत द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में अपनी पत्नी या पुत्री या पुत्रवधू का नाम पृथकतः या संयुक्ततः सहस्वामी के रूप में सम्मिलित करता है, वहां शुल्क की दर संपत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत होगी.

२६. प्रति या उद्धरण, जिसकी बाबत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का १) की धारा ७६ के अधीन किसी लोक अधिकारी या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है.

एक सौ रुपए.

(१)

(२)

२७. किसी लिखत का, जो कि शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क दे दिया गया है, प्रतिलेख या दूसरी प्रति. एक हजार रुपए
२८. **सीमा शुल्क बंध-पत्र या आबकारी बंध-पत्र** अर्थात् तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसरण में या सीमा या आबकारी विभाग के किसी अधिकारी के निदेशों के अनुसरण में या सीमा या आबकारी के किसी शुल्क के संबंध में या उनमें कपट या अपवंचन को रोकने के लिए या उनसे संबंधित किसी अन्य मामले या उससे संबंधित किसी बात के संबंध में दिये गये बंध-पत्र. वही शुल्क, जो उतनी ही रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
२९. **घोषणा** मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, २००० (क्रमांक १५ सन् २००१) के अधीन. दस हजार रुपए
३०. **माल की बावत् परिदान—आदेश**, अर्थात् कोई ऐसी लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति को या उसके समनुदेशितियों या लिखत के धारक को, किसी डाक या पत्तन पर या ऐसे किसी भांडागार में जहां माल का भाटक या भाड़े पर या घाट पर भंडारण संगृहीत या निक्षेप किया जाता है, किसी माल के परिदान के लिये हकदार बनाता है, और ऐसी लिखत उसमें की संपत्ति के विक्रय या अंतरण पर, ऐसे माल के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित की गई हो, जबकि ऐसे माल का मूल्य सौ रुपये से अधिक हो. दस रुपए
३१. **विवाह-विच्छेद** की लिखत, अर्थात् कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है. एक हजार रुपए
३२. पूर्व में रजिस्ट्रीकृत विलेख को संशोधित या उसमें सुधार करने का दस्तावेज, परन्तु जिसके द्वारा कोई सारवान परिवर्तन न किया जा रहा हो. एक हजार रुपए
- स्पष्टीकरण**—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए सारवान परिवर्तन वह है, जो मूल लिखत द्वारा अभिनिश्चित पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों या विधिक स्थिति में फेरफार करता है या अन्यथा मूल रूप से निष्पादित लिखत के विधिक प्रभाव में फेरफार करता है.
३३. विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ (१९५४ का ४३) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट विवाह प्रमाण-पत्र की रजिस्टर में प्रविष्टि. एक सौ रुपए
३४. **संपत्ति के विनिमय की लिखत.** वही शुल्क जो अधिकतम मूल्य की संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर, जो विनिमय की विषय-वस्तु है, लगता है.

(१)	(२)
३५. अतिरिक्त भार की लिखत अर्थात् कोई ऐसी लिखत जो बंधक संपत्ति पर भार अधिरोपित करती है—	
(क) जबकि मूल बंधक अनुच्छेद क्र. ४३ के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये वर्णनों में से किसी एक वर्णन का है (अर्थात् कब्जे सहित);	वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किए गए अतिरिक्त भार की रकम के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(ख) जबकि ऐसा बंधक अनुच्छेद क्र. ४३ के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये विवरणों में से किसी एक वर्णन का है (अर्थात् कब्जा रहित)—	
(एक) यदि अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समय, संपत्ति का कब्जा ऐसी लिखत के अधीन दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है;	वही शुल्क जो भार की, (जिसके अंतर्गत मूल बंधक और पहले किया गया कोई अतिरिक्त भार है) कुल रकम के हस्तांतरण-पत्र (क्र.२५) पर लगता है, जिसमें से वह शुल्क, जो ऐसे मूल बंधक और अतिरिक्त भार पर संदत्त किया गया है, कम कर दिया जाएगा.
(दो) यदि कब्जा इस प्रकार नहीं दिया गया है.	वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त भार की रकम के बंध पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
३६. दान की लिखत जो व्यवस्थापन (क्र. ५७)या वसीयत या अंतरण (क्र. ६१) नहीं है:—	
(एक)जब कुटुम्ब के किसी सदस्य को की गई है	उस शुल्क का आधा शुल्क, जो ऐसी संपत्ति, जो दान की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के, हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(दो) अन्य समस्त मामलों में	वही शुल्क, जो ऐसी संपत्ति, जो दान की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
स्पष्टीकरण. —इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुम्ब से माता, पिता, पत्नि, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा.	
३७. क्षतिपूर्ति बंध—पत्र.	वही शुल्क जो उतनी ही रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
३८. पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार है—	
(एक)जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है;	ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम या संपत्ति के बाजार मूल्य का ०.०१ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(१)

(२)

(दो) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो एक वर्ष से कम नहीं है किन्तु पांच वर्ष से कम है;

विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ०.१ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(तीन) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो पांच वर्ष से कम नहीं है किन्तु दस वर्ष से कम है;

विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(चार) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो दस वर्ष से कम नहीं है किन्तु बीस वर्ष से कम है;

विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(पांच) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो बीस वर्ष से कम नहीं है किन्तु तीस वर्ष से कम है;

विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का चार प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(छह) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो तीस वर्ष या उससे अधिक है, या शाश्वतकालीन है या निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं है;

विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

स्पष्टीकरण-एक—जब पट्टा करने के करार की कोई लिखत पट्टे के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया जाता है, तब न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्वधीन रहते हुए ऐसे पट्टा विलेख पर शुल्क, पूर्व संदत्त शुल्क को कम करके, अनुच्छेद के अध्वधीन देय शुल्क होगा.

स्पष्टीकरण-दो—जहां किसी पट्टे के संबंध में किसी दीवानी न्यायालय की डिक्री या अंतिम आदेश पट्टे के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, और ऐसी डिक्री या अंतिम आदेश के अनुसरण में तत्पश्चात् पट्टा निष्पादित किया जाता है, तब न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्वधीन रहते हुए ऐसे पट्टा विलेख पर शुल्क पूर्व संदत्त शुल्क को कम करके, अनुच्छेद के अध्वधीन देय शुल्क होगा.

(१)

(२)

स्पष्टीकरण-तीन—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए प्रीमियम, या अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन के रूप में कोई प्रतिफल, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, दिए गए प्रतिफल के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण—चार—नवीनीकरण कालावधि, यदि पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है, तो वर्तमान पट्टाविलेख के भाग के रूप में मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण—पांच—जबकि पट्टेदार किसी आवर्ती प्रभार, जैसे कि शासकीय राजस्व, भू-स्वामी के उपकरणों के अंश या नगरपालिक दरों या करों में स्वामी का अंश, जो पट्टाकर्ता से विधि द्वारा वसूलनीय हो, को चुकाने का जिम्मा लेता हो तो वह रकम, जिसके कि पट्टेदार द्वारा चुकाए जाने का इस प्रकार करार किया गया हो, भाटक का भाग समझी जाएगी। अग्रिम में भुगतान किया गया भाटक भी अग्रिम धन समझा जाएगा, जब तक कि पट्टे में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न कर दिया जाए कि अग्रिम में भुगतान किया गया भाटक, भाटक की किस्तों में मुजरा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-छह—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए रॉयल्टी भाटक के रूप में मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण-सात—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य, प्रीमियम तथा भाटक, जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम द्वारा या की ओर से निष्पादित पट्टे की विषयवस्तु है, लिखत में दर्शित मूल्य होगा।

३९. **शेयरों का आवंटन-पत्र** जो किसी कंपनी या प्रस्थापित कंपनी में या किसी कंपनी या प्रस्थापित कंपनी द्वारा लिये जाने वाले किसी उधार की बावत् है।

दस रुपए.

४०. **प्रत्याभूति-पत्र.**

एक हजार रुपए.

४१. **अनुज्ञप्ति—पत्र**, अर्थात् ऋणी तथा उसके लेनदारों के बीच इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलंबित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे।

दो हजार रुपए.

४२. **कंपनी का—ज्ञापन—**

(क) यदि उसके साथ कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा ५ के अधीन अनुच्छेद संलग्न हो;

दो हजार पांच सौ रुपए.

(ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो।

कंपनी की शेयर पूंजी के अनुसार वही शुल्क जो अनुच्छेद ११ के अधीन प्रभाष्य है।

(१)

(२)

४३. बंधक—विलेख, जो हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम या गिरवी या आड़मान (क्र. ७), पोत बंध-पत्र (क्र. १५), फसल का बंधक (क्र. ४४), जहाजी माल बंध-पत्र (क्र. ५५), या प्रतिभूति बंध-पत्र (क्र. ५६) से संबंधित करार नहीं है—

(क) जबकि ऐसे विलेख में समाविष्ट संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है;

(ख) जबकि यथापूर्वोक्त कब्जा नहीं दिया गया है या दिये जाने के लिए करार नहीं किया गया है;

वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के लिए हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.

स्पष्टीकरण—एक. ऐसे बंधककर्ता के बारे में, जो बंधकदार द्वारा जो बन्धकित संपत्ति या उसके भाग के भाटक का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जायेगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ के अंतर्गत कब्जा दे देता है.

स्पष्टीकरण—दो. मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, १९९८ तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, १९९९ के अधीन भूमि के विकास या उस पर निर्माण के लिए सृजित बंधक के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा दस्तावेज में उल्लिखित विकास व्यय, प्रतिभूति राशि होगी.

(ग) जबकि कोई सांपार्षिक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपरोक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में है, जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक् रूप से स्ताम्पित है;

पांच सौ रुपए.

४४. **फसल का बंधक**, जिसके अंतर्गत कोई ऐसी लिखत है, जो फसल के किसी बंधक पर दिये गये उधार के प्रतिदाय को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्षित करती है, चाहे बंधक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो;

दस रुपए.

४५. **नोटरी संबंधी कार्य**—अर्थात् कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाण-पत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (क्र. ५१) नहीं है और जो पब्लिक नोटरी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पब्लिक नोटरी के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए निष्पादित की गई है.

पचास रुपए.

४६. **टिप्पण या ज्ञापन**—जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है—

(क) ऐसे किसी माल का, जो एक सौ रुपये से अधिक मूल्य का है;

(ख) ऐसे किसी शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बंध-पत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या इसी प्रकार के अन्य विपण्य प्रतिभूति का, जो एक सौ रुपये से अधिक मूल्य का है, जो सरकारी प्रतिभूति न हो;

अधिकतम पचास रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए प्रत्येक एक लाख रुपये या उसके भाग के लिये दो रुपये.

अपरिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए दो रुपये; तथा परिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.

(१)

(२)

(ग) किसी सरकारी प्रतिभूति का;

अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूति के यथास्थिति क्रय या विक्रय के समय उसके मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए, ऐसी किसी फर्म या प्रोपराईटर, जो स्टॉक एक्सचेंज का अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ७४) की धारा २ के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी संगम का व्यापारिक सदस्य हो, के द्वारा स्वयं के लिए किए गए वायदे के सौदों तथा विकल्प करारों का तथा खण्ड (क) में वर्णित मालों की अग्रिम संविदा से संबंधित संव्यवहारों का अभिलेख (इलेक्ट्रानिक या अन्यथा) नोट या ज्ञापन समझा जायेगा.

४७. पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण;

पचास रुपये.

४८. विभाजन की लिखत—

(एक) जब कुटुम्ब के सदस्यों के बीच की गई हो

उस शुल्क का आधा शुल्क, जो ऐसी संपत्ति, के पृथक् किए गए अंश या अंशों के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

(दो) अन्य किसी मामले में

वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति, के पृथक् किए गए अंश या अंशों के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

टिप्पण.—संपत्ति विभाजित किए जाने के पश्चात् बच रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि दो या अधिक समान मूल्य के अंश हैं, जो अन्य अंशों में से किसी भी अंश से छोटे नहीं हैं तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जाएगा, जिससे अन्य अंश पृथक् कर दिए गए हैं.

स्पष्टीकरण-एक.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुम्ब से माता, पिता, पत्नि, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा.

स्पष्टीकरण-दो.—जबकि विभाजन की कोई ऐसी लिखत निष्पादित की गई है, जिसमें संपत्ति को पृथक्-पृथक् विभक्त करने का करार है और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया है, तब ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत की बाबत् चुकाए गए शुल्क की रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु वह एक हजार रुपए से कम नहीं होगी;

(१)

(२)

स्पष्टीकरण—तीन. जहां केवल कृषि भूमि (नगरीय या निवेश क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर स्थित नहीं है) के विभाजन से संबंधित लिखत है, वहां शुल्क के प्रयोजन के लिए बाजार मूल्य वार्षिक भू-राजस्व के सौ गुना से संगणित किया जाएगा;

स्पष्टीकरण—चार. जहां कि किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन का पारित अंतिम आदेश, या विभाजन करने का निर्देश देते हुए मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित किया गया है, और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक हजार रुपये से कम नहीं होगा.

४९. भागीदारी—

क. भागीदारी की लिखत—

(क) जहां भागीदारी में कोई अभिदाय के शेयर नहीं हैं या जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रुपये ५०,००० से अधिक नहीं हैं;

दो हजार रुपये.

(ख) जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रुपये ५०,००० से अधिक हैं;

न्यूनतम दो हजार रुपये एवं अधिकतम दस हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, अभिदाय शेयरों का दो प्रतिशत.

(ग) जहां अभिदाय का ऐसा शेयर स्थावर सम्पत्ति के रूप में लाया जाता है;

ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत.

स्पष्टीकरण—जहां अभिदाय का ऐसा शेयर नकद में तथा स्थावर सम्पत्ति के रूप में लाया जाता है, वहां खण्ड (ख) तथा (ग) दोनों लागू होंगे.

ख. भागीदारी का विघटन या भागीदार की सेवानिवृत्ति—

(क) जहां भागीदारी का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार जो कि उस संपत्ति को अपने अभिदाय के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने शेयर के रूप में ली जाती है;

वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

(ख) किसी अन्य मामले में;

एक हजार रुपये.

(१)

(२)

५०. **मुख्तारनामा** धारा २ (२१) द्वारा यथापरिभाषित, जो परोक्षी नहीं है—

- | | | |
|------|---|---|
| (क) | जबकि वह खण्ड (ग) या (घ) के अन्तर्गत आने वाले मुख्तारनामा को छोड़कर एक या अधिक व्यक्तियों को एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है; | एक हजार रुपये. |
| (ख) | जबकि वह खण्ड (ग) या (घ) के अन्तर्गत आने वाले मुख्तारनामा को छोड़कर एक व्यक्ति को एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिये या दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः या पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है; | दो हजार रुपये. |
| (ग) | जबकि वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अभिकर्ता को मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय, विनिमय या स्थायी रूप से अन्य संक्रान्त करने के लिए प्राधिकृत करता है; | वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है. |
| (घ) | जबकि वह प्रतिफल के बिना दिया गया है तथा अभिकर्ता को मध्यप्रदेश में स्थित स्थावर संपत्ति को विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी रूप से अन्य संक्रान्त करने के लिये प्राधिकृत करता है— | |
| (एक) | जब अभिकर्ता कुटुम्ब का सदस्य है | एक हजार रुपये. |
| (दो) | जब अभिकर्ता कुटुम्ब का सदस्य नहीं है | वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है. |
| (ड) | जबकि वह किसी व्यक्ति को किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर, स्क्रिप्स, बंधपत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टाक या इसी प्रकार की विपण्य प्रतिभूति को मालिक के नाम से क्रय करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करता है. | एक सौ रुपये. |
| (च) | अन्य किसी मामले में; | प्राधिकृत किए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक हजार रुपये. |

स्पष्टीकरण—एक—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुम्ब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा;

स्पष्टीकरण—दो—एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत उस दशा में, जिसमें कि वे एक ही फर्म के हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह एक ही व्यक्ति है.

५१. **विनिमय-पत्र या वचन-पत्र विषयक, प्रसाक्ष्य** अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधि-पूर्वक करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा, जो विनिमय-पत्र या वचन-पत्र का अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है;

पचास रुपये.

(१)

(२)

५२. **पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति** अर्थात् पोत की यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणा-पत्र, जो हानियों का समायोजन करने या औसतों का परिकलन करने की दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया है और पोत को भाड़े की संविदा पर लेने वालों या परेषितियों द्वारा पोत पर माल न लादने या पोत से माल न उतारने के लिये उसके द्वारा उनके विरुद्ध लिखित रूप में की गई कोई घोषणा जबकि ऐसा घोषणा-पत्र नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया है।

पचास रुपये.

५३. **बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण**, जिसमें हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक सम्मिलित है;

एक हजार रुपये.

५४. **निर्मुक्ति** अर्थात् कोई लिखत, (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिये धारा २३-क द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर दावे का त्याग कर देता है—

(एक) जहां कुटुंब के किसी सदस्य के पक्ष में है;

उस शुल्क का आधा शुल्क, जो सम्पत्ति के उस शेयर, जिस पर कि दावे का त्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

(दो) अन्य किसी मामले में—

वही शुल्क, जो संपत्ति के उस शेयर, जिस पर कि दावे का त्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा।

५५. **जहाजी माल बंधपत्र**, अर्थात् कोई लिखत जो उस उधार के लिये प्रतिभूति देती है जो किसी पोत के फलक पर लादे गये या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गंतव्य पत्तन पर पहुंचने पर समाधित है;

वही शुल्क जो प्रतिभूत किए गए उधार की रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है।

५६. **प्रतिभूति बंधपत्र जो बंधक-विलेख नहीं है**— जहां ऐसा प्रतिभूति बंधपत्र किन्हीं पदीय कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या प्रतिभू द्वारा किसी संविदा का सम्यक् पालन सुनिश्चित करने के लिये निष्पादित किया गया है, या किसी न्यायालय या लोक अधिकारी के आदेश जो न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का ७) द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो के अनुसरण में निष्पादित किया गया है;

वही शुल्क जो उतनी ही रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है।

(१)

(२)

५७. व्यवस्थापन—

क. व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अंतर्गत मेहर विलेख है);

(एक) कुटुंब के सदस्यों की दशा में;

(दो) किसी अन्य मामले में.

उस शुल्क का आधा शुल्क, जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

वही शुल्क, जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

स्पष्टीकरण १—जहां व्यवस्थापन के लिये करार व्यवस्थापन की लिखत के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन संबंधी लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक हजार रुपए से कम नहीं होगा.

स्पष्टीकरण २—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/ नातिन एवं पौत्र/ नाती अभिप्रेत होगा.

(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण

एक हजार रुपए.

५८. शेरर वारंट वाहक के लिये कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) के अधीन निर्गमित.

वारंट में विनिर्दिष्ट शेररों की अभिहित रकम के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर संदेय शुल्क का डेढ़ गुना शुल्क.

५९. पोत द्वारा भेजने के आदेश, जो किसी जलयान के फलक पर माल का प्रवहण करने के लिये या माल का प्रवहण करने से संबंधित हो.

पचास रुपए.

६०. पट्टे का अभ्यर्षण बिना किसी प्रतिफल के तथा जहां विषय-वस्तु संपत्ति उसी स्थिति में हो, जैसी कि वह मूल पट्टा विलेख में अभिकथित की गई थी.

एक हजार रुपए.

६१. अंतरण—

(क) धारा ८ द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय डिबेंचरों का, जो विपण्य प्रतिभूतियां हैं, चाहे शुल्क के लिये डिबेंचर दायी हो या न हो;

डिबेंचर की प्रतिफल की रकम के प्रत्येक सौ रुपये या उसके भाग के लिये पचास पैसे.

(ख) बंध-पत्र, बंधक-विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित का;

वही शुल्क जो हित की ऐसी रकम या मूल्य के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.

(ग) महाप्रशासक अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ४५) की धारा २२ के अधीन किसी संपत्ति का.

एक हजार रुपए.

(१)	(२)
६२. पट्टे का अंतरण, समनुदेशन द्वारा न कि उप पट्टे द्वारा;	वही शुल्क जो उस संपत्ति के, जो अंतरण की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
६३. न्यास—	
क. की घोषणा— किसी संपत्ति की या उसके बारे में जब कि वसीयत से भिन्न लिखित रूप में की गई हो—	
(क) जहां संपत्ति का व्ययन हो;	तीन चौथाई शुल्क, जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(ख) किसी अन्य मामले में;	एक हजार रुपए.
ख. का प्रतिसंहरण—किसी संपत्ति का या उसके बारे में जबकि वह वसीयत से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो;	एक हजार रुपए.
६४. माल के लिये वारंट, अर्थात् ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की संपत्ति के हक का साक्ष्य है जो किसी डाक, भाण्डागार या बाट में या उस पर पड़े हैं, जबकि ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है;	दस रुपए. "

५. (१) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ५ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित तथा
किया जाता है. निरसन व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र. 150-5-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 2, सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2015

THE INDIAN STAMP(MADHYA PRADESH) AMENDMENT ACT, 2014.

[Received the assent of the Governor on the 6th January, 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 7th January, 2015.]

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the state of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2014.

Amendment of Central Act No. II of 1899, in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) (hereinafter referred to as the principal Act), shall in its application to the State of Madhya Pradesh, be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of section 3.

3. In Section 3 of the principal Act, in the first proviso, the words "subject to the exemptions contained in that Schedule" shall be omitted.

Substitution of Schedule 1-A.

4. For Schedule 1-A to the principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely:—

**"SCHEDULE 1-A
Stamp Duty on Instruments
(See Sections 3)**

Description of Instruments (1)	Proper Stamp Duty (2)
1. Acknowledgement of a debt exceeding five hundred rupees in amount or value, written or signed by or on behalf of debtor in any book (other than a banker's pass book) or on a separate piece of paper, when such book or paper is left in the creditor's possession.	Ten rupees.
2. Acknowledgement of receipt of payment of consideration on account of another deed, which has been previously registered.	Five thousand rupees.
3. Administration-Bond , including a bond given under section 291, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) and Section 6 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873).	The same duty as a bond (No. 14) for the same amount.
4. Adoption deed , that is to say, any instrument (other than a will) recording an adoption or conferring or purporting to confer an authority to adopt.	Two thousand rupees.
5. Affidavit , that is to say, a statement in writing purporting to be a statement of fact, signed by the person making it and confirmed by him on oath or, in the case of persons by law allowed to affirm instead of swearing, by affirmation.	Fifty rupees.
6. Agreement of Memorandum of an agreement-	
(a) If relating to the sale of bill of exchange.	One rupee for every rupees 10,000 or part thereof.

(1)	(2)
(b) (i) If relating to the purchase or sale of a Government security.	One rupee for every rupees 10,000 or part thereof, of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be, subject to a maximum of rupees five thousand.
(ii) If relating to the purchase or sale of shares, scrips, bonds, debentures, debenture-stocks or any other marketable security of a like nature in or of any incorporated company or other body corporate.	Rupees two for every one lakh or part thereof, of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be, in case of non-delivery- based transactions; and one rupee for every rupees 10,000 or part thereof in case of delivery- based transactions.
(c) It relating to a permission granted by a manufacturer or owner of a business, know-how, brand name, trademark or the like to another person to carry on business or other activity using the grantor's know-how, brand name, trademark etc., i.e. the agreement of franchise.	Ten thousand rupees
(d) If relating to the development of land and/or construction of a building thereon by a person other than the owner or lessee of such land.	
(i) if having the stipulation that after development, such developed property or part thereof shall be held/ sold by the developer, by whatever name called, either severally or jointly with the owner/ lessee -	The same duty as a conveyance (No. 25) on the, market value of only that portion of the entire land proposed to be developed which is proportionate to the developed property to be held/sold by the developer jointly or severally, or half of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the entire land proposed to be developed, whichever is higher.
(ii) for cases not covered by (i) above -	0.25 percent of the market value of the entire land proposed to be developed, subject to a minimum of one thousand rupees.
Explanation- For the purposes of this article,	
(i)"development" and "developer" shall have the same meaning as assigned to them respectively in section 2(f) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and rule 2(1) (b) of the Madhya Pradesh Special Project and Township (Development, Regulation and Control) Rules, 2011.	
(ii) where the developed property is held/sold jointly but the share of the developer is not expressly mentioned in the document, the developer's share shall be deemed to be 100 percent.	
(e) If relating to sale of immovable property-	
(i) When possession of the property is delivered or is agreed to be delivered without executing the conveyance.	The same duty as conveyance (No. 25) on the market value of the property.
(ii) When possession of the property is not given.	One thousand rupees.

(1)	(2)
(f) If relating to hire- purchase of immovable property.	The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property.
(g) If relating to secure repayment of a loan or debt.	0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees.
(h) If not otherwise provided for.	Five hundred rupees.
7. Agreement relating to deposit of title deeds, pawn, pledge or hypothecation , that is to say, any instrument evidencing an agreement relating to-	
(a) the deposit of title deeds or instruments constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security), where such deposit has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt.	0.25 percent of the amount secured by such deed, subject to a maximum of five lakh rupees.
(b) the pawn, pledge or hypothecation of movable property, where such pawn, pledge or hypothecation has been made by way of security for the repayment of money advanced, or to be advanced by way of loan or an existing or future debt.	0.25 percent of the amount of loan or debt subject to a maximum of five lakh rupees.
Explanation I - On an instrument relating to deposit of title deeds or pawn or pledge or hypothecation for securing repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt of a higher amount than one secured by earlier instruments of like nature, the duty shall be chargeable only on the additional amount in case the proper stamp duty has been paid on the earlier instrument.	
Explanation II -for the purposes of clause (a) of this article, notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or order of any authority, any letter, note, memorandum or writing relating to the deposit of title deeds whether written or made either before or at the time when or after the deposit of title deeds is effected, and whether it is in respect of the security for the first loan or any additional loan or loans taken subsequently, such letter, note, memorandum or writing shall, in the absence of any separate agreement or memorandum of agreement relating to deposit of such title deeds, be deemed to be an instrument, evidencing an agreement relating to the deposit of title deeds.	
8. Appointment in execution of a power , whether of trustees or of property, moveable or immovable, where made by any writing, not being a will.	Five hundred rupees.
9. Appraisal or valuation , made otherwise than under an order of the Court in the course of a suit.	Five hundred rupees.

(1)	(2)
10. Apprenticeship deed , including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant, placed with any master to learn any profession, trade or employment.	Two hundred rupees.
11. Articles of a Company -	
(a) where the company has no share capital.	Five thousand rupees.
(b) where the company has nominal share capital or increased share capital.	0.15 percent of such nominal or increased share capital, subject to a minimum of five thousand rupees and a maximum of twenty five lakh rupees.
12. Award , that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, on a reference made otherwise than by an order of the Court in the course of a suit, being an award made as a result of a written agreement to submit present or future differences to arbitration and not being an award directing a partition.	Two percent of the award amount or market value of the property to which the award relates, whichever is higher.
13. Bank Guarantee . Guarantee deed executed by a bank as surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of liability.	0.25 percent of the amount, subject to a maximum of twenty five thousand rupees.
14. Bond , not being a debenture and not being otherwise provided for by this Act or by the Court-fees Act, 1870 (No.7 of 1870).	(a) 0.5 percent of the amount or value secured subject to a minimum of five hundred rupees. (b) Where no valuation is possible, five hundred rupees.
15. Bottomry Bond , that is to say, any instrument whereby the master of a sea going ship borrows money on the security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.	The same duty as a Bond (No.14) for the same amount.
16. Cancellation - Instrument of cancellation of any previously registered document, if attested and not otherwise provided for.	Five hundred rupees.
Explanation - I - If on the principal instrument stamp duty is paid on the basis of value, the duty on the instrument of cancellation shall be chargeable as per the principal instrument.	
Explanation - II - If on the principal instrument stamp duty is paid on the basis of market value, the duty on the instrument of cancellation shall be chargeable as per the principal instrument on the prevailing market value.	
17. Certificate of Enrolment , under section 22 of the Advocate Act, 1961 (No. 25 of 1961), issued by the State Bar Council of Madhya Pradesh.	One thousand rupees.
18. Certificate of Practice as Notary , under sub-section (1) of section 5 of the Notaries Act, 1952 (No. 53 of 1952), or endorsement of renewal of such certificates under sub section (2) of the said section.	Two thousand rupees.
19. Certificate of Sale (in respect of each property put up as a separate lot and sold), granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court or Collector or other Revenue Officer or an officer authorised to do so under any law for the time being in force.	The same duty as a conveyance (No.25) for the amount of purchase money only.

(1)	(2)
20. Certificate or other document , evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares, scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body.	One rupee for every one thousand rupees or a part thereof, of the value of the-shares, scrip or stock.
21. Charter-Party , that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of tug steamer) whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the charterer, whether it includes a penalty clause or not.	One hundred rupees.
22. Clearance List-	
(a) If relating to the transactions for the purchase or sale of Government securities submitted to the clearing house of a stock exchange.	One rupee for every rupees 10,000 or part thereof in respect of each of the entries in such list on the value of securities calculated at the making up price or the contract price, as the case may be, subject to a maximum of rupees five thousand.
(b) If relating to the transactions for the purchase or sale of share, scrip, stock, bond, debenture, debenture - stock or other marketable security of a like nature in or of an incorporated company or other body corporate, submitted to the clearing house of a stock exchange.	Rupees two for every one lakh or part thereof, of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be, in case of non-delivery- based transactions; and one rupee for every rupees 10,000 or part thereof in case of delivery-based transactions.
23. Composition deed , that is to say, any instrument executed by a debtor whereby he conveys his property for the benefit of his creditors or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business under the supervision of inspectors nominated by the creditors or under letters of licence for the benefit of his creditors.	Two thousand five hundred rupees.
24. Consent deed without any consideration, forming part of a document already registered or to be registered.	One thousand rupees.
25. Conveyance- not being a transfer charged or exempted under No.61.	Five percent of the market value of the property which is the subject matter of conveyance or the amount of consideration set forth therein, whichever is higher.
Explanation - For the purpose of this article market value of any property which is subject matter of conveyance executed by or on behalf of the Central Government or the State Government, shall be the value shown in the instrument.	Provided that-
	(a) where an instrument relates to the merger or amalgamation of companies under the orders of Tribunal/Court under section 232 and 234 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or under the order of the Reserve

(1)

(2)

Bank of India under section 44A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the duty chargeable shall be an amount equal to 5% of the market value of the immovable property transferred which is located within the State of Madhya Pradesh, or an amount equal to 0.5% of the aggregate of the market value of the shares issued or allotted in exchange or otherwise and the amount of consideration paid for such transfer, whichever is higher.

- (b) when an instrument relates to an assignment of a debt, the rate of duty shall be 0.25 percent on the amount of the debt assigned.
- (c) where an agreement to sell an immovable property is stamped with ad-valorem duty required for a conveyance and a sale deed in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such sale deed shall be the duty payable under the article less the duty already paid, subject to a minimum of Rs. 1000.
- (d) where a power of attorney authorising the agent to sell immovable property is stamped with ad-valorem duty required for a conveyance and a sale deed is executed in pursuance of power of attorney between the executant of attorney and the person in whose favour it is executed, the duty on the sale deed shall be the duty payable under the article less the duty already paid, subject to a minimum of Rs. 1000.
- (e) where a mortgage deed or an agreement to mortgage is stamped with ad-valorem duty required for a mortgage under article 43 and a court decree in pursuance of a suit filed against the mortgaged property, or a mortgage deed is executed, the duty payable on the decree or the mortgage deed shall be the duty payable under the article less the duty already paid under article 43 on the mortgage deed, subject to a minimum of Rs. 1000.
- (f) where by an instrument, a person includes the name of his wife or daughter or daughter-in-law severally or jointly as co-owner in his property, the rate of duty shall be 1 percent on the market value of the property.

(1)	(2)
26. Copy or Extract , certified to be a true copy or extract by or order of an public officer under section 70 of the indian Evidence Act, 1872 (No.1 of1872) and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees	One hundred rupees.
27. Counterpart or duplicate of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has beer, paid.	One thousand rupees.
28. Customs Bond or Excise bond , that is to say, any bond given pursuant to the provisions of any law for the time being in force or to the directions of any officer of Custom or Excise for, or in respect of, any of the duties of Customs and Excise or for preventing frauds or evasions thereof or for any other matter or thing relating thereto.	The same duty as a Bond (No.14) for the same amount.
29. Declaration , under the Madhya Pridesh Prakoshtha Swamitva Adhiniyam, 2000 (No. 15 of 2001).	Ten thousand rupees.
30. Delivery order in respect of goods , that is to say, any instrument entitling any person therein named or his assigns or the holder thereof, to the delivery of any goods lying in any dock or pert or in any warehouse in which goods are stored or deposited on rent or hire, or upon any wharf, such instrument being executed by or on behalf of the owner of such goods, upon the sale or transfer of the property therein when such goods exceed in value hundred rupees.	Ten rupees.
31. Divorce , instrument of, that is to say, any instrument by which any person effects the dissolution of his marriage.	One thousand rupees.
32. Document amending or correcting previously registered deed, but not making any material alterations.	One thousand rupees.
Explanation - For the purpose of this article a material alteration is one which varies the rights, liabilities or legal position of the parties as ascertained from the instrument in its original state or otherwise varies the legal effect of the instrument as originally executed.	
33 Entry of certificate of marriage , in the register under the Special Marriage Act, 1954 (No. 43 of 1954) or any other law for the time being in force.	One hundred rupees.
34. Exchange of Property - Instrument of	The same duty as a conveyance (No.25) on the market value of the property of greater value, which is the subject matter of Exchange.
35. Further charge - Instrument of, tint is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property-	The same duty as a conveyance (No.25) for the amount of further charge secured by such instrument.
(a) when the original mortgage is one of the description referred to in clause (a) of Article No. 43 (that is with possession).	

(1)	(2)
(b) when such mortgage is one of the description referred to in clause (b) of Article No.43 (that is, without possession) -	
(i) If at the time of the execution of the instrument of further charge, the possession of the property is given or agreed to be given under such instrument.	The same duty as a conveyance (No.25) for the total amount of charge (including the original mortgage and any further charge already made) less the duty already paid on such original mortgage and further charge.
(ii) If possession is not so given.	The same duty as a Bond (No. 14) for the amount of the further charge secured by such instrument.
36. Gift- Instrument of, not being a settlement (No. 57) or will or transfer (No. 61):-	
(i) when made to member of a family.	Half of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property, which is subject matter of the gift.
(ii) in all other cases.	The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property, which is subject matter of the gift.
Explanation- For the purpose of this article, the term "family" shall mean mother, father, wife, husband, son, daughter, brother, sister, granddaughter and grandson,	
37. Indemnity Bond.	The same duty as a Bond (No.14) for the same amount.
38. Lease, including an under-lease, or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal of lease-	
(i) where the lease purports to be for a term less than one year.	0.01 percent of the whole amount payable or deliverable under such lease, or of the market value of the property, whichever is higher.
(ii) where the lease purports to be for a term of not less than one year but less than five years.	0.1 percent of the amount of premium or money advanced or to be advanced as set forth in the deed plus the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.
(iii) where the lease purports to be for a term of not less than five years but less than ten years.	One percent of the amount of premium or money advanced or to be advanced as set forth in the deed plus the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.

(1)	(2)
(iv) where the lease purports to be for a term of not less than ten years but less than twenty years.	Two percent of the amount of premium or money advanced or to be advanced as set forth in the deed plus the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.
(v) where the lease purports to be for a term of not less than twenty years but less than thirty years.	Four percent of the amount of premium or money advanced or to be advanced as set forth in the deed plus the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.
(vi) where the lease purports to be for a period of thirty years or more, or in perpetuity, or does not purport to be for a definite period.	Five percent of the amount of premium or money advanced or to be advanced as set forth in the deed plus the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.
<p>Explanation-I- When an instrument of agreement to lease is stamped with the ad-valorem duty required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease deed shall be the duty payable under the article less the duty already paid, subject to a minimum of one thousand rupees.</p>	
<p>Explanation-II- Where a decree or final order of any Civil Court in respect of a lease is stamped with ad-valorem duty required for a lease, and a lease in pursuance of such decree or final order is subsequently executed, the duty on such lease deed shall be the duty payable under the article less the duty already paid, subject to a minimum of one thousand rupees.</p>	
<p>Explanation-III- Any consideration in the form of premium, or money advanced or to be advanced by whatever name called shall, for the purpose of this article, be treated as consideration passed on.</p>	
<p>Explanation-IV- The renewal period, if specifically mentioned in the lease deed, shall be treated as part of the present lease period.</p>	
<p>Explanation-V- When a lessee undertakes to pay any recurring charge, such as Government revenue, the landlord's share of cesses or the owner's share of municipal rates or taxes, which is by law recoverable from the lessor, the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rent. Also, rent paid in advance shall be deemed to be money advanced, unless it is specifically provided in the lease that rent paid in advance shall be set off towards the installments of rent.</p>	
<p>Explanation-VI- For the purpose of this article royalty shall be treated as rent.</p>	
<p>Explanation-VII- For the purpose of this article market value,</p>	

(1)	(2)
premium and rent of any property, which is subject matter of lease executed by or on behalf of the Central Government or the State Government or any undertaking of the State Government shall be as shown in the instrument.	
39. Letter of allotment of Shares , in any company or proposed company or in respect of any loan to be raised by any company or proposed company.	Ten rupees.
40. Letter of Guarantee .	One thousand rupees.
41. Letter of licence , that is to say, any agreement between a debtor and his creditors that the latter shall for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion.	Two thousand rupees.
42. Memorandum of a company-	
(a) If accompanied by articles under section 5 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013)	Two thousand five hundred rupees.
(b) If not so accompanied.	The same duty as is chargeable on Articles under Article II, according to the share capital of the company.
43. Mortgage deed , not being an agreement relating to the deposit of title deeds, Pawn, Pledge or Hypothecation (No.7), Bottomry bond (No. 15), Mortgage of a crop (No.44), Respondentia Bond (No.55), or a Security bond (No. 56)-	
(a) When possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by mortgagor or agreed to be given.	The same duty as a conveyance (No. 25) for the amount secured by such deed.
(b) When possession is not given or agreed to be given as aforesaid.	The same duty as a Bond (No. 14) for the amount secured by such deed.
Explanation-I A mortgagor who gives to the mortgagee a power of attorney to collect rents of a lease of the property mortgaged or part thereof, is deemed to give possession within the meaning of this article.	
Explanation-II For mortgage, for creating development of or construction on land under the Madhya Pradesh Nagar Palika (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 1998 and the Madhya Pradesh Gram Panchayat (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 1999, the development expenses approved by the competent officer and set forth in the document, shall be the amount secured.	
(c) When a collateral or auxiliary or additional or substituted security, or by way of further assurance for the above mentioned purpose, where the principal or primary security is duly stamped.	Five hundred rupees.
44. Mortgage of a Crop , including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage.	Ten rupees.

(1)	(2)
45. Notarial Act , that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation, certificate or entry not being a protest (No. 51) executed by a Notary public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary public.	Fifty rupees.
46. Note or Memorandum , sent by a broker or agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal-	
(a) of any goods exceeding in value one hundred rupees.	Two rupees for every rupees one lakh or part thereof, subject to a maximum of fifty rupees.
(b) of any share, scrip, stock, bond, debenture, debenture stock or other marketable security of a like nature exceeding in value one hundred rupees, not being a Government Security.	Rupees two for every one lakh or part thereof, of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be, in case of non-delivery- based transactions; and one rupee for every rupees 10,000 or part thereof in case of delivery-based transactions.
(c) of a Government Security.	One rupee for every rupees ten thousand or part thereof, of the value of the security, at the time of its purchase or sale, as the case may be, subject to maximum of five thousand rupees.
Explanation - For the purpose of clause(a) of this article, the record of transaction (electronic or otherwise) relating to future and option trading and forward contracts of goods described in clause (a) effected by the firm for itself or by proprietor for himself, who is a trading member through stock exchange or an association as defined in clause (a) of section 2 of the Forward Contract (Regulation) Act, 1952 (No.74 of 1952) shall be deemed to be a Note or Memorandum.	
47. Note of Protest , by the master of a ship.	Fifty rupees.
48. Partition - Instrument of -	
(i) when made within the family members.	Half of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the separated share or shares of the property.
(ii) in any other case,	The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the separated share or shares of the property.
Note- The largest share remaining after the property is partitioned (or if there are two or more shares of equal value and not smaller than any of the other share, then one of such equal shares) shall be deemed to be that from which the other shares are separated,	
Explanation-I - For the purpose of this article, the term "family" shall mean mother, father, wife, husband, son, daughter, brother, sister, granddaughter and grandson..	

(1)

(2)

Explanation-II- When an instrument of partition containing an agreement to divide property in severalty is executed and a partition is effected in pursuance of such agreement, the duty chargeable upon the instrument effecting such a partition shall be reduced by the amount of duty paid in respect of the first instrument, but shall not be less than one thousand rupees.

Explanation-III- Where the instrument relates to the partition of agricultural land exclusively (not situated within urban or planning area, or any other area as may be specified), the market value for the purpose of duty shall be calculated at hundred times the annual land revenue.

Explanation-IV- Where a final order for effecting a partition passed by any Revenue-authority or Civil Court or an award by an arbitrator directing a partition, is stamped with the stamp required for an instrument of partition and an instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed, the duty on such instrument shall not be less than one thousand rupees.

49. Partnership-

A. Instrument of -

(a) where there is no share of contribution in partnership or where such share of contribution does not exceed Rs. 50,000.

Two thousand rupees.

(b) where such share of contribution is in excess of Rs. 50,000.

Two percent of the shares contributed, subject to a minimum of rupees two thousand and a maximum of rupees ten thousand.

(c) where such share of contribution is brought by way of immovable property.

Two percent on the market value of such property.

Explanation- Where such share of contribution is brought by way of cash and immovable property, clauses (b) and (c) both shall apply.

B. Dissolution of partnership or retirement of a partner.

(a) Where on dissolution of partnership or on retirement of a partner, any immovable property is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that property as his share of contribution in the partnership.

The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of such property.

(b) In any other case.

One thousand rupees.

50. Power of attorney as defined by section 2(21), not being a proxy-

(a) when authorising one person or more to act in single transaction, excluding power of attorney coming under clause (c) or (d).

One thousand rupees.

(b) when authorising one person to act in more than one transaction or generally, or not more than ten persons to act jointly or severally in more than one transaction or generally, excluding power of attorney coming under clause (c) or (d).

Two thousand rupees.

(1)	(2)
(c) when given for consideration and authorising the agent to sell, exchange or permanently alienate any immovable property situated in Madhya Pradesh.	The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property.
(d) when given without consideration, and authorizing the agent to sell, gift, exchange or permanently alienate any immovable property situated in Madhya Pradesh -	
(i) when the agent is a member of the family.	One thousand rupees.
(ii) when the agent is not a member of the family.	The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property.
(e) when authorizing a person for the sole purpose of purchasing shares, scrips, bonds, debentures, debenture-stocks or any other marketable security of a like nature in or of any incorporated company or other body corporate, in the name of the principal.	One hundred rupees.
(f) in any other case.	One thousand rupees for each person authorised.
Explanation-I- For the purpose of this article, the term "family" shall mean mother, father, wife, husband, son, daughter, brother, sister, granddaughter and grandson.	
Explanation-II- For the purpose of this article, more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.	
51. Protest of Bill or Note , that is to say, any declaration in writing made by a Notary public, or other person lawfully acting as such, attesting the dishonour of a Bill of Exchange or Promissory Note.	Fifty rupees.
52. Protest by the Master of a Ship , that is to say, any declaration of the particulars of her voyage drawn up by him with a view to the adjustment of losses or the calculation of averages, and every declaration in writing made by him against the charterers or the consignees for not loading or unloading the ship, when such declaration is attested or certified by a Notary Public or other person lawfully acting as such:.	Fifty rupees.
53. Re-conveyance of Mortgaged Property , including mortgage by deposit of title deeds.	One thousand rupees.
54. Release , that is to say, any instrument (not being such a release as is provided for by section 23-A) whereby a person renounces a claim upon another person, or against any specified property -	
(i) when in favour of any member of a family.	Half of the duty as a conveyance (No. 25) on the consideration or market value of the share of the property over which the claim is relinquished, whichever is higher.
(ii) in any other case.	The same duty as a conveyance (No. 25) on the consideration or market value of the share of the property over which the claim is relinquished, whichever is higher.

(1)

(2)

Explanation- For the purpose of this article, the term "family" shall mean mother, father, wife, husband, son, daughter, brother, sister, granddaughter and grandson,

55. Respondentia Bond, that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination.

The same duty as a Bond (No.14) for the amount of the loan secured.

56. Security bond not being a Mortgage deed, where such security bond is executed by way of security for the due execution of an office, or executed by a surety to secure the due performance of a contract, or in pursuance of an order of the Court or public officer, not being otherwise provided for by the Court-fees Act, 1870 (No.7 of 1870).

The same duty as a bond (No. 14) for the same amount.

57. Settlement-

(a) Instrument of (including a deed of dower) -
(i) in case of family members.

Half of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property settled.

(ii) in any other case.

The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property settled.

Explanation-I - Where an agreement to settle is stamped with the stamp required for an instrument of settlement and an instrument of settlement in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such instrument shall not be less than one thousand rupees.

Explanation- II - For the purpose of this article, the term "family" shall mean mother, father, wife, husband, son, daughter, brother, sister, granddaughter and grandson.

(b) Revocation of.

One thousand rupees.

58. Share warrants. to bearer issued under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013).

One and a half times duty payable on a conveyance (No.25) for a market value equal to the nominal amount of the shares specified in the warrant.

59. Shipping order, for or relating to the conveyance of goods on board of any vessel.

Fifty rupees.

60. Surrender of lease without any consideration and when the subject matter property is in the same condition, as it was stated in the principal lease deed.

One thousand rupees.

61. Transfer—

(a) of debentures, being marketable securities, whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8.

Fifty paise for every hundred rupees or part thereof, of the consideration amount of debentures.

(b) of any interest secured by a bond, mortgage deed or policy of insurance.

The same duty as a Bond (No.14) for such amount or value of the interest.

(1)	(2)
(c) of any property under section 22 of the Administrator's General Act, 1963 (No. 45 of 1963).	One thousand rupees.
62. Transfer of least , by way of assignment and not by way of under lease.	The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property, which is the subject matter of the transfer
63. Trust-	
A. Declaration of- of or concerning any property when made by any writing, not being a will-	
(a) where there is disposition of property.	Three fourth of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property settled.
(b) in any other case.	One thousand rupees.
B. Revocation of- of or concerning any property when made by any instrument, other than a will.	One thousand rupees.
64. Warrant for Goods , that is to say, any instrument evidencing the title of any person therein named, or his assigns or the holder thereof to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.	Ten rupees."

Repeal and Saving.

5. (1) The Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Ordinance, 2014 (No. 5 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जनवरी 2015—पौष 12, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी, 2015

क्र. एफ बी-4-29-2014-2-पांच(01).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के कॉलम (2) में उल्लिखित अनुच्छेदों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क कम करती है/छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी / छूट (3)
1.	अनुच्छेद-5- शपथ पत्र	<p>1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा प्रतिज्ञात किये गये शपथ-पत्र पर।</p> <p>2. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-25-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी सदस्य द्वारा प्रतिज्ञात किए गए शपथ-पत्र पर।</p> <p>3. जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत शपथ-पत्र पर।</p> <p>4. भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) के अधीन प्रस्तुत शपथ-पत्र पर।</p> <p>5. सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौ सेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अधीन भर्ती होने के लिए प्रस्तुत शपथ पत्र पर।</p> <p>6. किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष फाइल किए जाने या उपयोग में लाए जाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए प्रस्तुत शपथ पत्र पर।</p> <p>7. किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए प्रस्तुत शपथ पत्र पर।</p>
2.	अनुच्छेद-6 - करार या करार का ज्ञापन	<p>1. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन इकाइयों द्वारा बोर्ड से सहायता प्राप्त करने के लिये निष्पादित लिखतों पर।</p> <p>2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पात्र उपभोक्ताओं द्वारा मीटर युक्त एकल बत्ती विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण कम्पनी जबलपुर, भोपाल तथा इंदौर के साथ निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित करार की लिखत पर।</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण को प्रतिभूत करने के लिए कृषकों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली लिखतों पर।</p> <p>4. नाबार्ड प्रायोजित स्कीमों के अधीन समूह के सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु दस लाख रुपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाली लिखतों पर।</p> <p>5. औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अभिप्राप्त किए गए ऋणों का प्रतिसंदाय सुनिश्चित करने के लिए किसी वित्तीय संस्था के पक्ष में जड़ी बूटी या आयुर्वेद पर आधारित उद्योगों द्वारा निष्पादित लिखतों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010, यथा संशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा उसकी कार्ययोजना के प्रवर्तन में रहने तक ही स्टाम्प शुल्क से छूट होगी—</p> <p>(क) औद्योगिक इकाई मध्यप्रदेश सरकार या मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक वृद्धि (ग्रोथ) केन्द्र में स्थित हो, तथा</p> <p>(ख) आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस आशय का एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो कि यह उद्योग इस आदेश के अधीन स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए पात्र है।</p> <p>6. मध्यप्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन परियोजनाओं के लिए निष्पादित की जाने वाली शासकीय भूमि के विकास अनुबंध की लिखतों पर।</p> <p>7. शिक्षा ऋण के पुनर्भुगतान से संबंधित करार की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर को घटाकर केवल पांच सौ रूपए किया जाता है।</p> <p>8. तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिये बैंक के साथ निष्पादित किये जाने वाले ऋण संबंधी लिखत पर स्टाम्प शुल्क घटाकर केवल पांच सौ रूपए किया जाता है।</p> <p>9. करार या करार का ज्ञापन –</p> <p>(क) जो अनन्यतः माल या वाणिज्य के विक्रय के लिए है या उससे संबंधित है और जो अनुच्छेद 46 के अधीन प्रभार्य नोट या ज्ञापन नहीं है।</p> <p>(ख) जो केन्द्रीय सरकार को किन्हीं ऐसी निविदाओं के रूप में किए गए हैं, जो किसी उधार के लिए हैं या उससे संबंधित हैं।</p>
3.	अनुच्छेद-7- हक-विलेखों के निक्षेप, पण्यम, गिरवी	1. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन की इकाइयों द्वारा बोर्ड से सहायता प्राप्त करने के लिये निष्पादित की जाने वाली लिखतों पर।

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
	या आडमान से संबंधित करार-	<p>2. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एवं मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से औद्योगिक प्रयोजनों के लिए ऋणों तथा अग्रिमों को अभिप्राप्त करने के संबंध में राज्य के उद्योगपतियों या औद्योगिक उपकरणों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करारों पर।</p> <p>3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण प्रतिभूत करने के लिए कृषकों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली लिखतों पर।</p> <p>4. नाबार्ड प्रायोजित स्कीमों के अधीन 10 लाख रूपए की सीमा तक समूह-सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु ऋण को प्रतिभूत करने के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाली लिखतों पर।</p> <p>5. किसी भूमिस्वामी या रेवेन्यू बुक सरक्यूलर-चार-3-10 के अधीन भूमिधारण करने वाले पट्टाधारी द्वारा कृषिक प्रयोजनों के लिए दस लाख रूपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंकों के पक्ष में निष्पादित आडमान विलेखों पर तथा, यह भी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के मामले में उक्त प्रयोजन हेतु किसी भी सीमा तक कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा।</p> <p>6. औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अभिप्राप्त किए गए ऋणों का प्रतिसंदाय सुनिश्चित करने के लिए जड़ी-बूटी या आयुर्वेद पर आधारित उद्योगों द्वारा किसी वित्तीय संस्था के पक्ष में निष्पादित लिखतों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010, यथा संशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा उसकी कार्ययोजना के प्रवर्तन में रहने तक ही स्टाम्प शुल्क से छूट होगी-</p> <p>(क) औद्योगिक इकाई, मध्यप्रदेश सरकार या मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक वृद्धि (ग्रोथ) केन्द्र में स्थित है, तथा</p> <p>(ख) आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस आशय का एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो कि, यह उद्योग इस आदेश के अधीन स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए पात्र है।</p> <p>7. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी की किसी नई इकाई/विस्तारित इकाई/आधुनिकीकृत इकाई द्वारा निष्पादित किए गए साम्यागत बंधक (हक विलेख का निक्षेप)/ आडमान की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त के अधीन रहेगी कि नई इकाई/विस्तारित इकाई/आधुनिकीकृत इकाई को मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012 यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग/ बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन (बीपीओ/बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या उनके द्वारा अधिसूचित किसी निर्दिष्ट</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>एजेन्सी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की इकाई प्रमाणित किया गया हो।</p> <p>टिप्पणी—यह छूट केवल मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012, यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग/ बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन (बीपीओ/बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी।</p> <p>8. सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों की दशा में तथा आवासीय प्रयोजन के लिए दस करोड़ रूपए तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर प्रतिभूत ऋण की रकम का 0.125 प्रतिशत किया जाता है।</p> <p>9. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अधीन आवासगृह निर्माण के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राप्त एक लाख रूपए तक के ऋण या अग्रिम का प्रतिसंदाय सुनिश्चित करने के लिये, किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पक्ष में किसी हितग्राही द्वारा निष्पादित हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त के अधधीन रहेगी कि संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो कि हितग्राही इस हेतु स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए पात्र है।</p> <p>10. विनिमय-पत्र के साथ संलग्न आडमान पत्र पर।</p> <p>11. कृषि उत्पाद के पण्यम् या गिरवी की किसी लिखत पर, यदि वह अननुप्रमाणित हो।</p>
4.	अनुच्छेद-9-आंकना या मूल्यांकन-	<p>1. आंकना या मूल्यांकन, जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिए किया गया है, और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से बाध्यकर नहीं है।</p> <p>2. भाटक के रूप में भूमिस्वामी को दी जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए फसलों को आंकने संबंधी लिखत पर।</p>
5.	अनुच्छेद-10-शिक्षता विलेख-	<p>1. शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन किसी व्यस्क शिक्षु या अव्यस्क शिक्षु के संरक्षक द्वारा किसी नियोजक के पक्ष में निष्पादित संविदा पर।</p> <p>2. शिक्षता लिखत, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोक पूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया हो।</p>
6.	अनुच्छेद-14-बंध पत्र	<p>बंधपत्र, जब वह किसी व्यक्ति द्वारा यह गारंटी देने के प्रयोजन के लिए निष्पादित किया गया हो कि किसी पूर्त औषधालय को या चिकित्सालय को या लोक उपयोगी उद्देश्य के लिए निजी अभिदान से प्राप्त स्थानीय आय प्रतिमास एक विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगी।</p>
7.	अनुच्छेद-16-रदकरण	<p>वसीयत के रदकरण की लिखत पर।</p>
8.	अनुच्छेद-25-हस्तांतरण पत्र-	<p>1. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, नगर विकास प्राधिकरणों, प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा स्व-वित्तीय योजना के अधीन क्रेता से प्राप्त धन से निर्मित भवनों/प्रकोष्ठों के संबंध में भवन/प्रकोष्ठ के मूल्य की सीमा तक</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>(भूखण्ड के मूल्य को छोड़कर) निष्पादित विक्रय के लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कमी/छूट रहेगी : -</p> <p>(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह तथा मध्यम आय वर्ग-समूह के प्रवर्गों के भवनों/प्रकोष्ठों के लिये क्रमशः 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट/कमी की जाएगी, किन्तु उच्च आय वर्ग के भवनों/प्रकोष्ठों के मामलों में कोई छूट/कमी नहीं की जाएगी ;</p> <p>(ख) यह छूट/कमी केवल स्व-वित्तीय योजना के अधीन मूल आवंटितियों तक सीमित रहेगी।</p> <p>(ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग समूह तथा मध्यम आय समूह से वही आशयित होगा, जैसा नगरीय प्रशासन तथा पर्यावरण विभाग द्वारा समय-समय पर परिभाषित तथा निर्दिष्ट किया जाएगा :</p> <p>परंतु भागतः निर्मित मकान/प्रकोष्ठ की दशा में यह छूट उपलब्ध नहीं होगी।</p> <p>2. अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा उसके जीवनकाल में उसके किसी विधिक वारिस/वारिसों के पक्ष में निष्पादित कृषि भूमि के सभी प्रकार के अन्तरण विलेखों पर।</p> <p>3. मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित किये जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ उद्योगों के पक्ष में राज्य सरकार या किसी अर्द्ध शासकीय संगठन या किसी शासकीय उपक्रम की ओर से निष्पादित भू-खण्ड या विनिर्मित जगह से संबंधित विक्रय की लिखतों पर।</p> <p>4. औद्योगिक इकाइयों के चालू समुत्थान के रूप में हस्तांतरण की लिखतों में, लिखत द्वारा अन्तरित प्लॉट, मशीनरी एवं अन्य चल संपत्तियों के मूल्य पर शुल्क की दर एक प्रतिशत होगी, साथ ही किसी एक लिखत पर प्रभार्य शुल्क दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।</p> <p>5. वित्तीय संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों या निजी क्षेत्र द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित विक्रय के ऐसे लिखतों पर जिनके द्वारा कि सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ कम्पनी की किसी नई इकाई/विस्तारित इकाई/आधुनिकीकृत इकाई के पक्ष में भूमि/परिसर अंतरित की जाती है, पर स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त के अधीन रहेगी कि नई इकाई/विस्तारित इकाई/आधुनिकीकृत इकाई को मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012, यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग/बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन (बीपीओ/बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या उनके द्वारा अधिसूचित किसी निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ इकाई प्रमाणित किया गया हो।</p> <p>टिप्पणी-यह छूट केवल मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012, यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग/</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन (बीपीओ/बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी।</p> <p>6. उन व्यक्तियों, जिनकी भूमि आटो टेस्टिंग ट्रेक परियोजना, पीथमपुर, जिला धार के लिए अर्जित की गई है, के पक्ष में निष्पादित किए गए विक्रय विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट रहेगी -</p> <p>(क) धार जिले के कलक्टर से संलग्न प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है जिसमें आटो टेस्टिंग ट्रेक परियोजना, पीथमपुर के लिए भूमि अर्जन के लिए संदत्त मुआवजे की रकम के साथ-साथ विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम का उल्लेख हो,</p> <p>(ख) उक्त खण्ड (क) की स्थिति विक्रय विलेख में अभिव्यक्त की गई है, तथा</p> <p>(ग) छूट की पात्रता मुआवजे तथा विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की राशि तक सीमित होगी।</p> <p>(घ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के उपबंधों के अनुसार ऐसी लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा लिखत के रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से एक माह के भीतर वाणिज्यिक कर विभाग को प्रतिपूर्ति की जाएगी।</p> <p style="text-align: center;">प्रमाण-पत्र</p> <p>कमांक _____ दिनांक _____</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री _____</p> <p>निवास _____ ग्राम _____ तहसील _____ जिला _____</p> <p>की भूमि क्षेत्रफल _____ हेक्टेयर, आटो टेस्टिंग ट्रेक परियोजना, पीथमपुर, जिला धार के लिए अर्जित की गई है, जिसके लिए संदाय की गई मुआवजा एवं अनुदान राशि का विवरण निम्नानुसार है -</p> <p>मुआवजा राशि _____</p> <p>विशेष अनुग्रह राशि _____</p> <p>योग _____</p> <p>2. यह प्रमाण-पत्र श्री _____ पिता श्री _____ द्वारा श्री _____ पिता श्री _____ के पक्ष में निष्पादित ग्राम _____ की भूमि क्षेत्रफल _____ हेक्टेयर भूमि के विक्रय विलेख पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने के लिए लागू होगा। इस रजिस्ट्री के उपरान्त स्टाम्प शुल्क से छूट की राशि की पात्रता, शेष मुआवजा एवं विशेष पुनर्वास अनुदान की कुल राशि रु _____ पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की राशि तक ही उपलब्ध होगी। किन्तु किसी भी दशा में स्टाम्प शुल्क से छूट की राशि श्री _____ आत्मज श्री _____ द्वारा प्राप्त की गई मुआवजा राशि एवं विशेष पुनर्वास अनुदान के योग की राशि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से अधिक नहीं होगी।</p> <p style="text-align: right;">कलक्टर, धार</p> <p>7. निजी व्यक्तियों द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने के लिए स्थापित किसी इकाई के पक्ष में निष्पादित की गई विक्रय की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को कम करके निम्नलिखित शर्तों के</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>अध्यधीन रहते हुए, आधी की जाएगी :-</p> <p>(क) इकाई द्वारा इस आदेश के अधीन छूट दी गई स्टाम्प शुल्क की रकम के बराबर राशि बैंक गारण्टी, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा परियोजना की दशा में 21 मास की कालावधि तथा बायोगैस या नगरीय अवशिष्ट परियोजनाओं के लिए 36 मास की कालावधि के लिए, राज्य सरकार के पक्ष में दी जाएगी।</p> <p>(ख) यदि परियोजना बैंक गारण्टी हेतु दी गई कालावधि के भीतर स्थापित नहीं की जाती है, तो छूट प्राप्त स्टाम्प शुल्क की रकम सरकार को संदाय करने का दायित्व उस इकाई का होगा। इकाई का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह विहित कालावधि समाप्त होने के पूर्व इस निमित्त ऊर्जा विभाग द्वारा नियुक्त किए गए सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण-पत्र संबंधित जिले, जिसमें कि क्रय की गई भूमि स्थित है, के जिला रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करे कि बैंक गारण्टी में विहित कालावधि के पूर्व इकाई स्थापित की जा चुकी है। व्यतिक्रम की दशा में यह छूट प्रदान की गई शुल्क की रकम, इकाई द्वारा इस प्रयोजन के लिए दी गई बैंक गारण्टी से वसूली योग्य होगी।</p>
		<p>8. पार्क के विकासकर्ता द्वारा किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के पक्ष में फूड पार्क में विकसित भूमि के अन्तरण हेतु निष्पादित लिखत पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट रहेगी—</p> <p>(क) उक्त भूमि की क्रय की लिखत पर प्रभार्य शुल्क का समायोजन अंतरित भू-भाग के अनुपात में किया जाएगा ; और</p> <p>(ख) यदि समायोजन पर कोई शुल्क संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं हो, तो अन्तरण के लिये न्यूनतम शुल्क केवल पांच सौ रुपए होगा।</p>
		<p>9. मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल द्वारा पंजीकृत किसी गौशाला के पक्ष में निष्पादित भूमि के विक्रय की लिखतों पर ।</p>
		<p>10. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, नगर विकास प्राधिकरणों, प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ अथवा मध्यप्रदेश में स्थित किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित विक्रय की लिखतों पर ।</p> <p>“आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” से वही आशय होगा, जैसा नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर परिभाषित तथा निर्दिष्ट किया जाएगा । जिला कलक्टर से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>स्टाम्प शुल्क से उस मामले में भी छूट उपलब्ध रहेगी जहां आवासीय भवनों के पट्टे की लिखत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधा (बीएसयूपी)/ एकीकृत आवास और विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित की जाती है, जो मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अधीन उक्त एजेन्सियों द्वारा निर्माणाधीन स्थलों पर सरकार से पूर्व से ही धारित पट्टे का अभ्यर्पण कर देता हो।</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>11. सरकार या किसी अर्द्ध शासकीय संगठन या किसी सरकारी उपक्रम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या रजिस्ट्रीकृत किसी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित निजी भूमि अथवा नजूल भूमि के पट्टाधृति अधिकारों को फ्री-होल्ड अधिकारों में संपरिवर्तित करने से संबंधित हस्तान्तरण की लिखत पर स्टाम्प शुल्क कम करते हुए केवल लिखत में यथा उपवर्णित संपरिवर्तन के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम पर ही प्रभार्य होगा, किन्तु किसी भी दशा में प्रभार्य शुल्क की रकम पांच सौ रूपए से कम नहीं होगी।</p> <p>12. ऐसी बीमार/बंद औद्योगिक इकाइयों के, जो कि औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) या किसी परिसमापक को निर्दिष्ट की गई हों, या वित्तीय संस्थाओं या बैंकों द्वारा अधिगृहित की गई हों या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित बीमार उद्योग की श्रेणी में आती हों, विक्रय की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से इन शर्तों के अध्याधीन रहते हुए छूट प्रदान की जाती है -</p> <p>(एक) छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी। उन इकाइयों/आस्तियों के हस्तांतरण पर, जिन पर कि इस अधिसूचना के अधीन एक बार छूट प्रदान की जा चुकी है, किसी भी दशा में दुबारा छूट प्रदान नहीं की जाएगी ;</p> <p>(दो) छूट केवल ऐसी बंद और बीमार इकाइयों को प्रदान की जाएगी जिनको कि स्टाम्प शुल्क से छूट देने का निर्णय, मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010, यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा उसकी कार्ययोजना के उपबंधों के अधीन गठित, यथास्थिति मध्यप्रदेश राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा या जिले के कलक्टर की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति द्वारा किया गया हो ;</p> <p>(तीन) छूट प्राप्त करने के लिये इकाई के क्रेता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसकी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए इकाई के पुनरुद्धार की योजना प्रस्तुत करना होगी। क्रेता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह वचनपत्र भी देना होगा कि वह उद्योग का अठारह मास में पुनरुद्धार करेगा और इसके उल्लंघन की दशा में छूट दी गई स्टाम्प शुल्क की रकम का लिखत के निष्पादन की तारीख से प्रतिमाह या उसके किसी भाग के लिये 0.75 प्रतिशत, की दर से साधारण ब्याज सहित भुगतान करेगा। पुनरुद्धार के लिये वह विविधीकरण के विकल्प का उपयोग करने का पात्र होगा ; और</p> <p>(चार) छूट, सक्षम प्राधिकारी के इस आशय के प्रमाण-पत्र के अध्याधीन रहते हुए प्राप्त होगी कि लिखत को, इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने की पात्रता है। उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे :-</p> <p style="text-align: center;">इकाई का मूल्य/बाजार मूल्य सक्षम प्राधिकारी</p> <p>(एक) जहां एक करोड़ रूपए से अधिक न हो: संबंधित जिले का कलक्टर (दो) जहां एक करोड़ रूपए से अधिक हो : संबंधित संभाग का संभागीय आयुक्त</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>टिप्पणी — यह छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010, यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी।</p> <p>13. औद्योगिक इकाइयों के चालू समुत्थान के रूप में विक्रय या विलयन या समामेलन की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाकर अधिकतम दस लाख रुपये उस स्थिति में किया जाएगा, जबकि प्रभार्य शुल्क की रकम इससे अधिक हो। शुल्क में यह कमी निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए की जाएगी —</p> <p>(क) उक्त लिखत उद्योग की बेहतर क्षमता उपयोग हेतु निष्पादित की गई हो,</p> <p>(ख) उद्योग का उत्पादन ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा हो,</p> <p>(ग) किसी बैंक या वित्तीय संस्था जिसने उद्योग को ऋण दिया है उसने इस ऋण को ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए नान-परफार्मिंग एसेट माना गया हो,</p> <p>(घ) उद्योग का शुद्ध मूल्य घटकर ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष पहले उसके शुद्ध मूल्य से आधे से कम रह गया हो ; और</p> <p>(ङ) उस दशा में, जहां उद्योग का विक्रय मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा तथा अन्य मामलों में संबंधित संभाग के आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो कि लिखत इस अधिसूचना के अधीन रियायत प्राप्त करने की पात्रता रखती है।</p> <p>टिप्पणी — इस अधिसूचना के अधीन छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010, यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी।</p> <p>14. पूर्व उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय, शहडोल के परिसर में की 12.713 एकड़ तथा झाबुआ जिले में ग्राम कल्याणपुरा की शासकीय सर्वे नं. 556/1 की हैक्टर भूमि के, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की एक घटक संस्था, यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिये, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख पर।</p> <p>15. ग्राम मालसीपुर, तहसील सिरोंज स्थित भूमि के चार सर्वे क्रमांक अर्थात् सर्वे क्रमांक 108/3 के 8.359 हेक्टर क्षेत्र में से 7.422 हेक्टर क्षेत्र, सर्वे क्रमांक 116 के 0.063 हेक्टर क्षेत्र, सर्वे क्रमांक 117/1 के 2.023 हेक्टर क्षेत्र तथा सर्वे क्रमांक 138 के 1.517 हेक्टर क्षेत्र में से 0.612 हेक्टर की कुल 12.120 हेक्टर (25 एकड़) भूमि के, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की घटक संस्था, यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिरोंज, जिला विदिशा की स्थापना के लिए, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख पर।</p> <p>16. अनूपपुर जिले में मेसर्स न्यू जोन इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु किए जा रहे भू-अर्जन के मामलों में विस्थापितों/ प्रभावित परिवारों के अवार्ड के अनुसार देय प्रतिकर तथा विशेष पुनर्वास अनुदान की सीमा तक की भूमि के कय विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए छूट</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>प्रदान की जाती है, अर्थात् :-</p> <p>(क) इस परियोजना हेतु पुनर्वास पैकेज की औपचारिक स्वीकृति, संभावित स्टाम्प शुल्क की क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक रकम जिला कलक्टर द्वारा लोक लेखा के निर्धारित राजस्व शीर्ष में जमा कराने के पश्चात् जारी की जाएगी ;</p> <p>(ख) इस परियोजना के पुनर्वास पैकेज के अधीन प्रत्येक विस्थापित परिवार के पक्ष में जिला कलक्टर द्वारा एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें विस्थापित व्यक्ति को देय प्रतिकर की रकम के साथ-साथ विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम का उल्लेख किया जाएगा तथा उसमें स्टाम्प शुल्क की रकम में दी जा रही छूट की पात्रता भी प्रमाणित की जाएगी। उक्त प्रमाण-पत्र विस्थापित व्यक्ति द्वारा अर्जित भूमि के विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। छूट की पात्रता प्रतिकर तथा विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम तक सीमित होगी ;</p> <p>(ग) इस परियोजना के अधीन रजिस्ट्रीकृत विलेखों के आधार पर स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की मांग जिला पंजीयक द्वारा प्रतिमाह जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जाएगी तथा जिला कलक्टर, उक्त मांग पत्र प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर प्रतिपूर्ति की रकम लेखा शीर्ष "0030 स्टाम्प एवं पंजीकरण" में जमा कराएगा ; और</p> <p>(घ) स्टाम्प शुल्क में यह छूट प्रतिकर तथा पुनर्वास अनुदान के भुगतान की तारीख से केवल दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगी।</p> <p>17. नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए किसी परिवार के सदस्य के पक्ष में भूमि अर्जित करने के लिये निष्पादित किए गए विक्रय विलेख पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट रहेगी, अर्थात्: -</p> <p>(क) परियोजना क्षेत्र के भू-अर्जन अधिकारी का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया गया हो, जिसमें उसकी भूमि एवं अन्य अचल सम्पत्ति के लिए मदवार मुआवजे की रकम, विशेष पुनर्वास अनुदान, पुनर्वास अनुदान आदि को सम्मिलित करते हुए कुल राशि का उल्लेख किए गया हो। किन्तु सामान का स्वयं के द्वारा परिवहन करने के लिए दिए गए परिवहन शुल्क की राशि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा;</p> <p>(ख) विस्थापित व्यक्ति द्वारा पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी स्थान पर कृषि भूमि या / तथा अन्य कोई अचल सम्पत्ति कय की गई हो;</p> <p>(ग) उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) की स्थिति अन्तरण विलेख में स्वतः अभिव्यक्त होती हो;</p> <p>(घ) छूट की पात्रता भूमि तथा/या अचल सम्पत्ति के मूल्य पर या उक्त विस्थापित व्यक्ति को मुआवजे, विशेष पुनर्वास अनुदान, पुनर्वास अनुदान, वित्तीय सहायता आदि के रूप में भुगतान की गई प्रतिफल की कुल राशि पर, इनमें से जो भी कम हो, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तक सीमित होगी;</p> <p>(ङ.) विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति, उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के आधार पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को की जाएगी ;</p> <p>(च) पुनर्वास नीति में यथा-परिभाषित केवल विस्थापित परिवार को ही छूट की पात्रता होगी ; और</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>(छ) ऐसा भूमिहीन विस्थापित व्यक्ति एवं वयस्क पुत्र भी जो पुनर्वास अनुदान, उत्पादक सम्पत्ति के क्रय के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता, पुनर्वास स्थल पर विकसित आवासीय भूखण्ड के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त विभिन्न राशियों से कृषि भूमि तथा/ या अन्य अचल सम्पत्ति क्रय करना चाहता है, भी उक्त छूट के लिए हकदार होगा।</p> <p>18. निम्नलिखित के लिए निष्पादित की गई लिखतों पर— (क) मध्यप्रदेश राज्य में दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर सब-रीजन के अंतर्गत जिला उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी परियोजना की स्थापना के लिए गठित स्पेशल परपज व्हीकल (एस.पी.व्ही.) कम्पनी को राज्य सरकार के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि के हस्तांतरण हेतु निष्पादित लिखत पर। (ख) एस.पी.व्ही. कम्पनी द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट विक्रम उद्योगपुरी परियोजना के मास्टर प्लान के निष्पादन के अनुक्रम में किसी विकासकर्ता, संविदाकार, निर्माण कम्पनी या संयुक्त उपक्रम को ऐसी भूमि के किसी खण्ड के केवल प्रथम हस्तांतरण के लिए निष्पादित लिखत पर। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रयोजन के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए प्रबंध संचालक, ट्रायफेक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा।</p> <p>19. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के अधीन प्रतिलिप्याधिकार का समनुदेशन।</p>
9.	अनुच्छेद-26-प्रति या उद्धरण-	<p>1. किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षा की गई है कि वह किसी लोक कार्यालय में या लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाए या दे।</p> <p>2. जन्म, बपतिस्म, नामकरण, समर्पण, विवाह, विवाह-विच्छेद, मृत्यु या दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की या उसमें के किसी उद्धरण की प्रतिलिपि पर।</p>
10.	अनुच्छेद-27-प्रतिलेख या दूसरी प्रति	कृषकों को दिए गए किसी पट्टे का प्रतिलेख जबकि ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो।
11.	अनुच्छेद-34-संपत्ति का विनिमय	<p>दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि के विनिमय के विलेखों के संबंध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट होगी -</p> <p>(क) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो, वह कृषि भूमि हो, (ख) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा है, वह लगभग समान बाजार मूल्य की हो ; (ग) जिन भूमियों का विनिमय किया जा रहा हो, वे नजूल अथवा नगर बाह्य नजूल कृषि भूमियां नहीं हों ; (घ) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो, वह एक ही राजस्व निरीक्षक वृत्त के भीतर स्थित हों ; और</p> <p>(ङ) कृषि भूमि की सीलिंग से बचने हेतु इस प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।</p>
12.	अनुच्छेद-35-अतिरिक्त भार	1. किसी भूमिस्वामी या रेवेन्यू बुक सरक्यूलर-चार-3-10 के अधीन पट्टाधारी के रूप में भूमिधारण करने वाले व्यक्ति द्वारा कृषिक प्रयोजनों

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>के लिए दस लाख रुपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंकों के पक्ष में निष्पादित अतिरिक्त भार की कब्जा रहित लिखतों पर। तथा, यह भी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के मामले में उक्त प्रयोजन हेतु किसी भी सीमा तक कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा।</p> <p>2. कृषकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंकों के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली लिखतों पर।</p>
13.	अनुच्छेद-36 -दान की लिखत	<p>1. राज्य सरकार के पक्ष में निष्पादित दान की लिखत पर।</p> <p>2. मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल द्वारा पंजीकृत किसी गौशाला के पक्ष में निष्पादित भूमि के दान की लिखतों पर।</p> <p>3. अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा जीवनकाल में उसके किसी विधिक वारिस/वारिसों के पक्ष में निष्पादित कृषि भूमि के सभी प्रकार के अन्तरण विलेखों पर।</p>
14.	अनुच्छेद-37 -- क्षतिपूर्ति बंध पत्र	<p>कोयला खान भविष्य निधि के मृत सदस्यों के अवयस्क आश्रितों के संरक्षक द्वारा उसकी संचित निधि का रिफंड प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये निष्पादित किये जाने वाले क्षतिपूर्ति बंध पत्र पर।</p>
15.	अनुच्छेद 38-पट्टा	<p>1. बेरोजगार इंजीनियरों को वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा उन्हें उनका स्वयं का उद्योग चलाने के लिये अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित की गई भूमि तथा निर्मित शेड के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख पर। स्टाम्प शुल्क से छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी, अर्थात्:- (क) आवेदक या उसकी फर्म के समस्त भागीदार डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी इंजीनियर हों; और (ख) आवेदक या उसकी फर्म की समस्त आय या उसके माता या पिता की आय एक हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं हो।</p> <p>2. सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन निगम के पक्ष में निष्पादित ऐसी भूमि के संबंध में जिन पर कि उक्त निगम की इकाइयां स्थित हैं, के पट्टे की लिखतों पर।</p> <p>3. मध्यप्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन परियोजनाओं के लिए निष्पादित की जाने वाली शासकीय भूमि के पट्टे की लिखतों पर।</p> <p>4. मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित किये जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के पक्ष में राज्य सरकार या किसी अर्द्ध सरकारी संगठन या किसी शासकीय उपक्रम की ओर से निष्पादित भू-खण्ड (प्लॉट) या विनिर्मित जगह से संबंधित पट्टे की लिखतों पर।</p> <p>5. मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (1961 का 17) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई मछुआ सहकारी समिति के पक्ष में दो हजार हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले जलाशय से मछली पकड़ने से संबंधित पट्टों की लिखत पर।</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>6. किसी जलाशय से मछली पकड़ने के लिये मछुआरे या मछुआरों के पक्ष में किसी ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख पर ।</p> <p>7. वित्तीय संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों या निजी क्षेत्र द्वारा या उन की ओर से निष्पादित पट्टे की ऐसी लिखतें जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ कम्पनी की किसी नई इकाई/विस्तारित इकाई/आधुनिकीकृत इकाई के पक्ष में भूमि/परिसर अंतरित की जाती है, पर स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त के अधधीन रहेगी कि उसे मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012, यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग/बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन (बीपीओ/बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या उनके द्वारा अधिसूचित किसी निर्दिष्ट एजेन्सी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ की इकाई प्रमाणित किया गया हो।</p> <p>टिप्पणी—यह छूट केवल मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिक निवेश नीति, 2012, यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग/बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन (बीपीओ/बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी।</p> <p>8. मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य एवं उद्योग तथा रोजगार विभाग या मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा, जड़ी-बूटी या आयुर्वेद पर आधारित उद्योगों के पक्ष में उद्योग के नाम में परिवर्तन, भागीदार/भागीदारों को उसमें जोड़ने, सहयोग या उसके पुनर्निर्माण के कारण निष्पादित पट्टे के संशोधन की लिखत पर छूट इस शर्त के अधधीन होगी, अर्थात् :-</p> <p>(क) औद्योगिक इकाई मध्यप्रदेश सरकार या मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक वृद्धि (ग्रोथ) केन्द्र में स्थित है ; और</p> <p>(ख) आयुक्त, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस आशय का एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो कि, यह उद्योग स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए पात्र है।</p> <p>टिप्पणी—यह छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010, यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी।</p> <p>9. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, नगर विकास प्राधिकरणों, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ अथवा मध्यप्रदेश में स्थित किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसा नगरीय प्रशासन तथा पर्यावरण विभाग द्वारा समय-समय पर परिभाषित तथा निर्दिष्ट किया जाए। किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित पट्टे जिला कलक्टर से, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>स्टाम्प शुल्क से उस मामले में भी छूट प्रदान की जाएगी जहां आवासीय भवनों के पट्टे की लिखत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधा (बीएसयूपी)/ एकीकृत आवास और विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित की जाती है, जो मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (कमांक 15 सन् 1984) के अधीन उक्त एजेन्सियों द्वारा निर्माणाधीन स्थलों पर सरकार से पूर्व से ही धारित पट्टे का अभ्यर्पण कर देता हो।</p> <p>10. राज्य सरकार द्वारा या उसके किसी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित औद्योगिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक विकास केन्द्रों में भूमि और शेडों के पट्टों में संशोधन की लिखत पर प्रभार्य शुल्क कम करते हुए केवल लिखत में उपबर्णित अन्तरण शुल्क की रकम पर ही, उसे पट्टे के लिये बाजार मूल्य की रकम मानते हुए, प्रभार्य होगी। परन्तु प्रत्येक मामले में पक्षकारों द्वारा उस संबंधित जिले के, जिसमें कि भूमि स्थित है, स्टाम्प कलेक्टर का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि उस लिखत पर, जिसके कि आधार पर सरकार या सरकार के संबंधित उपक्रम द्वारा पट्टे में संशोधन की अनुज्ञा दी गई थी, समुचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।</p> <p>टिप्पणी - यह छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010, यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी।</p> <p>11. ऐसी बीमार/बंद औद्योगिक इकाइयों के, जो कि औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) या किसी परिसमापक को निर्दिष्ट की गई हों, या वित्तीय संस्थाओं या बैंकों द्वारा अधिगृहित की गई हों या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित बीमार उद्योग की श्रेणी में आती हों, पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क पर निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए छूट रहेगी -</p> <p>(क) छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी। उन इकाइयों/आस्तियों के हस्तांतरण पर, जिन पर कि इस अधिसूचना के अधीन एक बार छूट प्रदान की जा चुकी है, किसी भी दशा में दुबारा छूट प्रदान नहीं की जाएगी ;</p> <p>(ख) छूट केवल ऐसी बंद और बीमार इकाइयों को प्रदान की जाएगी जिनको कि स्टाम्प शुल्क से छूट देने का निर्णय, मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010; यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा उसकी कार्ययोजना के उपबंधों के अधीन गठित, यथास्थिति मध्यप्रदेश राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा या जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति द्वारा किया गया हो ;</p> <p>(ग) छूट प्राप्त करने के लिये इकाई के पट्टेदार को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसकी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए इकाई को पुनःप्रवर्तन करने की योजना प्रस्तुत करना होगी। पट्टेदार को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह वचनपत्र भी देना होगा कि वह उद्योग को अठारह माह में पुनःप्रवर्तित करेगा और इसके उल्लंघन की दशा में स्टाम्प शुल्क में दी गई छूट की रकम का लिखत के निष्पादन की तारीख से प्रतिमाह या उसके किसी भाग के लिये 0.75 प्रतिशत, साधारण ब्याज की दर से भुगतान करेगा। पुनःप्रवर्तन के लिये वह विविधीकरण के विकल्प का उपयोग करने का पात्र होगा ; और</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>(घ) छूट, सक्षम प्राधिकारी के इस आशय के प्रमाण-पत्र के अध्यधीन रहते हुए प्राप्त होगी कि लिखत को, इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने की पात्रता है।</p> <p>उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :-</p> <p>इकाई का मूल्य/बाजार मूल्य सक्षम प्राधिकारी (एक) जहां एक करोड़ रूपए से अधिक न हो : संबंधित जिले का कलक्टर (दो) जहां एक करोड़ रूपए से अधिक हो : संबंधित संभाग का संभागीय आयुक्त</p> <p>टिप्पणी -यह छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010, यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी।</p> <p>12. नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए किसी परिवार के सदस्य के पक्ष में भूमि अर्जित करने के लिये निष्पादित पट्टा विलेख पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट रहेगी, अर्थात् :-</p> <p>(क) परियोजना क्षेत्र के भू-अर्जन अधिकारी का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया गया हो, जिसमें उसकी भूमि एवं अन्य अचल सम्पत्ति के लिए मदवार मुआवजे की रकम, विशेष पुनर्वास अनुदान, पुनर्वास अनुदान आदि को सम्मिलित करते हुए कुल राशि दर्शायी गई हो, किन्तु सामान का स्वयं के द्वारा परिवहन करने के लिए दिए गए परिवहन शुल्क की राशि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा;</p> <p>(ख) विस्थापित व्यक्ति द्वारा पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी स्थान पर कृषि भूमि और / या अन्य कोई अचल सम्पत्ति कय की गई हो;</p> <p>(ग) उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) की स्थिति अन्तरण विलेख में स्वतः अभिव्यक्त होती हो;</p> <p>(घ) छूट की पात्रता भूमि तथा/या अचल सम्पत्ति के मूल्य पर या उक्त विस्थापित व्यक्ति को मुआवजे, विशेष पुनर्वास अनुदान, पुनर्वास अनुदान, वित्तीय सहायता आदि के रूप में भुगतान की गई प्रतिफल की कुल राशि पर, इनमें से जो भी कम हो, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तक सीमित होगी;</p> <p>(ङ) विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति, उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के आधार पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को की जाएगी;</p> <p>(च) पुनर्वास नीति में यथा-परिभाषित विस्थापित परिवार को ही छूट की पात्रता होगी;</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>(छ) ऐसा भूमिहीन विस्थापित व्यक्ति एवं वयस्क पुत्र भी जो पुनर्वास अनुदान, उत्पादक सम्पत्ति के कय के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता, पुनर्वास स्थल पर विकसित आवासीय भूखण्ड के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त विभिन्न राशियों से कृषि भूमि तथा/ या अन्य अचल सम्पत्ति कय करना चाहता है, उक्त छूट के लिए हकदार होगा।</p> <p>13. खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए पट्टा (जिसके अंतर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है), जो कोई जुमाना या प्रीमियम दिए बिना या परिदत्त किए बिना निष्पादित किया गया है और जबकि कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्त की गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है या जबकि आरक्षित किया गया औसत वार्षिक भाटक एक सौ रुपये से अधिक नहीं है।</p> <p>14. इस अनुच्छेद के अधीन निर्माण, प्रवर्तन और अंतरण (बी.ओ.टी.) योजना के अंतर्गत सड़क, पुल आदि के निर्माण पर, पथकर संग्रह करने का अधिकार देने वाले अनुबंध पत्रों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर घटाकर एक हजार रूपए की जाती है।</p>
16.	अनुच्छेद-43- बंधक विलेख	<p>1. बंधक संपत्ति के अंतरण की लिखत जो मध्यप्रदेश शासन के किसी अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के निवास के निर्माण के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1960 के अधीन स्थापित गृह निर्माण मण्डल से उसको प्राप्त अग्रिम के पुनर्भुगतान के लिये निष्पादित की जाए।</p> <p>2. वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को उन्हें उनका स्वयं का उद्योग चलाने के लिए मध्यप्रदेश वित्त निगम से एक लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करने के लिए निष्पादित बंधक की लिखतों पर निम्नलिखित शर्तों पर छूट रहेगी, अर्थात् :-</p> <p>(क) आवेदक या फर्म के समस्त भागीदार डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी इंजीनियर हों, और</p> <p>(ख) उसकी या फर्म के समस्त भागीदारों की आय या उसके माता या पिता की आय एक हजार रूपए प्रतिमाह से अधिक नहीं हो।</p> <p>3. लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा मध्यप्रदेश वित्त निगम से 7.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये निष्पादित कब्जा रहित बंधक की लिखतों पर।</p> <p>4. उर्जा उत्पादन तथा खनिज तेल परिष्करण के क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले किसी "नवीन उद्योग" द्वारा, उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी जुटाने हेतु निष्पादित कब्जा रहित बंधक पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में कमी करते हुए पांच लाख रुपये किया जाता है, जहां ऐसे विलेख पर देय शुल्क उस रकम से अधिक होता है।</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)															
		<p>स्पष्टीकरण - इस प्रयोजन के लिए "नवीन उद्योग" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने दिनांक 19-8-1999 के पूर्व उत्पादन नहीं किया हो और आयुक्त वाणिज्य उद्योग तथा रोजगार द्वारा या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया जाए।</p> <p>5. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एवं मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से औद्योगिक प्रयोजनों के लिए ऋणों तथा अग्रिमों को अभिप्राप्त करने के संबंध में राज्य के उद्योगपतियों या औद्योगिक उपक्रमों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कब्जा रहित बंधक की लिखत पर।</p> <p>6. नए उद्योग स्थापित करने के प्रयोजन के लिए या किसी उद्योग के विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण अभिप्राप्त करने के संबंध में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में उद्योगपतियों या औद्योगिक उपक्रमों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कब्जा रहित बंधक की लिखतों पर नीचे दी गई सारणी में यथा-निर्दिष्ट सीमा तक छूट रहेगी :-</p> <p style="text-align: center;">सारणी</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>जिले/ ब्लाक की श्रेणी (मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग तथा रोजगार विभाग द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार)</th> <th>स्टाम्प शुल्क से छूट/कमी की सीमा लघु उद्योग के लिए</th> <th>मध्यम और वृहद उद्योग के लिए</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पिछड़ा "ख"</td> <td>100 प्रतिशत</td> <td>50 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>पिछड़ा "ग"</td> <td>100 प्रतिशत</td> <td>100 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>ऐसे ब्लाक, जिनमें कोई उद्योग नहीं हो</td> <td>100 प्रतिशत</td> <td>100 प्रतिशत</td> </tr> </tbody> </table> <p>उक्त छूट या कमी निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए होगी, अर्थात् :-</p> <p>(क) लघु उद्योग की दशा में केवल उन्हीं मामलों में छूट दी जाएगी, जहां अनन्य रूप से प्लांट एवं मशीनरी पर पूंजी विनियोजन की रकम पांच लाख रूपए से अधिक हो तथा वह सेवा या व्यापार की श्रेणी में न आता हो ;</p> <p>(ख) ऋण की संपूर्ण रकम का व्यय मध्यप्रदेश राज्य में उद्योग के विकास के लिए ही किया जाएगा ; और</p> <p>(ग) आयुक्त, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस आशय का एक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो कि ऋण अभिप्राप्त करने वाला उद्योग इस आदेश के अधीन स्टाम्प शुल्क में कमी या छूट के लिए पात्र है।</p> <p>7. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ कम्पनी की किसी नई</p>	जिले/ ब्लाक की श्रेणी (मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग तथा रोजगार विभाग द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार)	स्टाम्प शुल्क से छूट/कमी की सीमा लघु उद्योग के लिए	मध्यम और वृहद उद्योग के लिए	(1)	(2)	(3)	पिछड़ा "ख"	100 प्रतिशत	50 प्रतिशत	पिछड़ा "ग"	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	ऐसे ब्लाक, जिनमें कोई उद्योग नहीं हो	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
जिले/ ब्लाक की श्रेणी (मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग तथा रोजगार विभाग द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार)	स्टाम्प शुल्क से छूट/कमी की सीमा लघु उद्योग के लिए	मध्यम और वृहद उद्योग के लिए															
(1)	(2)	(3)															
पिछड़ा "ख"	100 प्रतिशत	50 प्रतिशत															
पिछड़ा "ग"	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत															
ऐसे ब्लाक, जिनमें कोई उद्योग नहीं हो	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत															

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>इकाई/विस्तारित इकाई/आधुनिकीकृत इकाई द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कब्जा रहित बंधक की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त के अधीन रहेगी कि नई इकाई/विस्तारित इकाई/आधुनिकीकृत इकाई को मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012, यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग/ बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन (बीपीओ/बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या उनके द्वारा अधिसूचित किसी निर्दिष्ट एजेन्सी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ इकाई प्रमाणित किया गया हो।</p> <p>टिप्पणी—यह छूट केवल मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012, यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग/ बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन (बीपीओ/बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी।</p> <p>8. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण को प्रतिभूत करने के लिए कृषकों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली कब्जा रहित बंधक की लिखत पर।</p> <p>9. नाबार्ड प्रायोजित स्कीमों के अधीन 10 लाख रुपए की सीमा तक समूह- सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु ऋण को प्रतिभूत करने के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली कब्जा रहित बंधक की लिखतों पर।</p> <p>10. किसी भूमिस्वामी या रेवेन्यू बुक सरक्यूलर-चार-3-10 के अधीन पट्टाधारी के रूप में भूमिधारण करने वाले व्यक्ति द्वारा कृषिक प्रयोजनों के लिए दस लाख रुपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंकों के पक्ष में निष्पादित कब्जा रहित बंधक विलेखों पर। तथा, यह भी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के मामले में उक्त प्रयोजन हेतु किसी भी सीमा तक कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा।</p> <p>11. औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अभिप्राप्त किए गए ऋणों का प्रतिसंदाय सुनिश्चित करने के लिए किसी वित्तीय संस्था के पक्ष में जड़ी-बूटी या आयुर्वेद पर आधारित उद्योगों द्वारा निष्पादित लिखतों पर छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :-</p> <p>(क) औद्योगिक इकाई मध्यप्रदेश सरकार या मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक वृद्धि (ग्रोथ) केन्द्र में स्थित है; और</p> <p>(ख) आयुक्त, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस आशय का एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो कि, यह उद्योग इस आदेश के अधीन स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए पात्र है।</p> <p>टिप्पणी - यह छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010, यथासंशोधित 2012, अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी।</p>

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
		<p>12. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अधीन आवासगृह निर्माण के प्रयोजन के लिए प्राप्त होने वाले एक लाख रूपए तक के ऋण या अग्रिम का प्रतिसंदाय सुनिश्चित करने के लिये, किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पक्ष में किसी हितग्राही द्वारा निष्पादित साधारण बंधक की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त के अधीन रहेगी कि संबंधित जिले के कलक्टर द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो कि हितग्राही इस हेतु स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए पात्र है।</p> <p>13. मध्यप्रदेश राज्य में ऐसे नवीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए, जो मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2008 के उपाबंध-3 में सम्मिलित विनश्वर मर्दों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है, या ऐसे उद्योग के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण अभिप्राप्त करने के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले कब्जा रहित बंधक की लिखतों पर।</p> <p>14. वे लिखतें जो भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रतिभुओं द्वारा ऐसे अग्रिमों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गई है।</p>
17.	अनुच्छेद-46- टिप्पण या ज्ञापन-	टिप्पण या ज्ञापन जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे या किसी सरकारी प्रतिभूति या किसी शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बंधपत्र, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या इसी प्रकार के अन्य विपण्य प्रतिभूति या किसी निगमित कंपनी के या अन्य निगमित निकाय के कय या विकय की प्रज्ञापना देते हुए, जो अपेक्षित है, उनसे संबंधित प्रविष्टि, अनुच्छेद 22 के खण्ड (क) तथा (ख) में वर्णित समाशोधन सूची में बनाई जाकर भेजी गई हो।
18.	अनुच्छेद-48 विभाजन	<p>1. संयुक्त खातेदारों के बीच कृषि भूमि के बंटवारे के विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट रहेगी, अर्थात् :-</p> <p>(क) जिस भूमि का बंटवारा किया जाना है, उस भूमि के विषय में किसी न्यायालय में न तो कोई विवाद हो और न ही कोई मामला लंबित हो,</p> <p>(ख) जिस भूमि का बंटवारा किया जा रहा है, वह भूमि सीलिंग के प्रावधानों के भीतर नहीं हो।</p> <p>2. विभाजन की ऐसी लिखत पर जिसके द्वारा विरासत में अनन्य रूप से अभिप्राप्त की गई कृषि भूमि का विभाजन संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच किया जाता है।</p>
19.	अनुच्छेद-53 -- बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1960 के अधीन स्थापित गृह निर्माण मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश शासन के किसी अधिकारी के पक्ष में, उसके स्वयं के निवास हेतु गृह का निर्माण करने के प्रयोजन के लिये उक्त मण्डल से उसको प्राप्त किसी अग्रिम के पुनर्भुगतान पर निष्पादित बंधकित संपत्ति के हस्तांतरण की लिखत पर।
20.	अनुच्छेद-56- प्रतिभूति बंध-पत्र, जो बंधक विलेख	1. मध्यप्रदेश शासन के किसी अधिकारी के प्रतिभू द्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, 1960 के अधीन नियत प्ररूप 5 में बंधक विलेख के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन के लिये निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र पर।

अनुक्रमांक (1)	अनुच्छेद (2)	कमी/छूट (3)
	नहीं है।	<p>2. किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए किसी धर्मार्थ औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमाह विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी, निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र पर।</p> <p>3. ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन अग्रिम लिए हैं या उनके प्रतिभूतों द्वारा ऐसे अग्रिम के चुका दिए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र पर।</p> <p>4. सरकार के अधिकारियों या उनके प्रतिभूतों द्वारा किसी पद के कर्तव्यों के सम्यक निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य संपत्ति का सम्यक रूप से लेखा देने को सुनिश्चित करने के लिए निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र पर।</p>
21.	अनुच्छेद-57- व्यवस्थापन-	विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया मेहर विलेख चाहे ऐसा विलेख विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात् निष्पादित किया गया हो।
22.	अनुच्छेद-60- पट्टे का अभ्यर्पण-	पट्टे का अभ्यर्पण जबकि ऐसे पट्टे को शुल्क से छूट दी गई हो।
23.	अनुच्छेद-61- अंतरण	<p>पृष्ठांकन द्वारा अंतरण-</p> <p>(क) जो विनियम-पत्र, चैक या वचन-पत्र का है;</p> <p>(ख) वहन-पत्र, परिदान आदेश, माल के लिए वारंट या माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का है;</p> <p>(ग) बीमा पालिसी का है;</p> <p>(घ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का है।</p>
24.	अनुच्छेद-62- पट्टे का अंतरण	शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्टे का अंतरण।

टिप्पणी :- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये -

1. "बैंक" में सम्मिलित हैं -

- (क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी ;
- (ख) भारतीय बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;
- (ग) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक ;
- (घ) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 (1970 का 5) के अधीन गठित तत्स्थानी नवीन बैंक ;
- (ङ) मध्यप्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल;

- (च) एग्रीकल्चरल फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमित कम्पनी है;
- (छ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ;
- (ज) मध्यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1966 (1966 का 28) की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्थ के अन्तर्गत केन्द्रीय विकास बैंक या उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) के अर्थ के अंतर्गत कोई विकास बैंक ; और
- (झ) कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) के अधीन गठित कृषिक पुनर्वित्त निगम।
2. "वित्तीय संस्था" में सम्मिलित हैं —
- (क) मध्यप्रदेश वित्त निगम ;
- (ख) मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम ;
- (ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी ;
- (घ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक,
- (ङ) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक ;
- (च) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) के अधीन गठित तत्स्थानी कोई नवीन बैंक ; और
- (छ) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कोई लोक वित्तीय संस्था।

3. "कृषिक प्रयोजन" से अभिप्रेत है भूमि को खेती के योग्य बनाना, भूमि का सुधार करना जिसमें सम्मिलित है सिंचाई से स्रोतों का विकास, फसलों को उगाना तथा काटना, उद्यान कृषि, वनोद्योग तथा कृषि कर्म, पशु प्रजनन, पशु पालन, दुग्ध उद्योग बीज कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, सुअर पालन एवं कुक्कुट पालन और ऐसे क्रियाकलाप के संबंध में ट्रक, मिनी ट्रक, मेटाडोर तथा ड्रिलिंग मशीन व छोड़कर अन्य उपकरणों तथा मशीनरी का अर्जन करना तथा उसका उपयोग।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी, 2015

क्र. एफ बी-4-29-2014-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसारण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ बी-4-29-2014-2-पांच (01), दिनांक 2 जनवरी, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd January 2015

No. F. B-4-29-2014-2-V(01).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, reduce/remits stamp duty on documents mentioned in column (3) of the table below on the articles mentioned in column (2) of Schedule 1-A of the said Act, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Article (2)	Reductions / Remissions (3)
1.	Article - 5 - Affidavit	<ol style="list-style-type: none"> 1. On affidavit affirmed by a member of a Scheduled Castes or Scheduled Tribes. 2. On affidavit sworn or affirmed by a member of the Other Backward Classes, as specified in the State Government notification No. F-8-5-25-4-84, dated the 26th December, 1984, as amended from time to time. 3. On affidavit submitted before a Commission of Inquiry appointed by the Government of India or the State Government under the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) 4. On affidavit submitted under Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 OF 1985). 5. On affidavit made as a condition of enrollment under the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Navy Act, 1957 (62 of 1957) or the Air Force Act, 1950 (45 of 1950). 6. On affidavit made for the sole purpose of being filed or used in any Court or before the officer of any Court. 7. On affidavit made for the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance.
2.	Article - 6 - Agreement or Memorandum of an agreement	<ol style="list-style-type: none"> 1. On instruments executed by units under Madhya Pradesh Khadi and Gramodyog Board for obtaining assistance from the Board. 2. On instruments of agreement required to be executed by eligible users belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes living below the poverty line with the Madhya Pradesh Vidyut Vitaran Company Jabalpur, Bhopal, and Indore for obtaining single-point metered electricity connection. 3. On instruments executed by agriculturists in favour of Banks for securing loans under the Kisan Credit Card Scheme. 4. On instrument executed by Self Help Groups in favour of banks for securing loans upto Ten Lakh Rupees for economic development of group members under the NABARD sponsored schemes.

(1)	(2)	(3)
3.	Article - 7 - Agreement relating to deposit of title deeds, pawn, pledge or hypothecation	<p data-bbox="528 289 1370 478">5. Stamp duty is exempted on instruments executed by herbal or ayurved based industry in favour of any financial institution, to secure repayment of loans obtained for industrial purposes only till the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, as amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work-plan remains in operation subject to the conditions, that :—</p> <p data-bbox="528 512 1370 604">(a) the industrial unit is situated in an industrial area or industrial growth centre developed by the Government of Madhya Pradesh or Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam ; and</p> <p data-bbox="528 638 1370 730">(b) a certificate of eligibility to the effect that the industry is eligible for remission of stamp duty under this order, is issued by the Commissioner of Industry, Government of Madhya Pradesh.</p> <p data-bbox="528 764 1370 856">6. On instruments of agreement related to development of Government land executed by the Tourism Department of the State for tourism projects.</p> <p data-bbox="528 890 1370 953">7. Stamp duty is reduced to Rupees Five Hundred only on instruments of agreement relating to repayment of education loan.</p> <p data-bbox="528 987 1370 1079">8. Stamp duty is reduced to Rupees Five Hundred only on loan related instruments to be executed with Banks for establishment of technical educational institutions.</p> <p data-bbox="528 1113 1370 1142">9. On Agreement or memorandum of an agreement—</p> <p data-bbox="528 1176 1370 1239">(a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under article 46.</p> <p data-bbox="528 1272 1370 1335">(b) made in the form of tenders to the Central Government for or relating to any loan.</p> <p data-bbox="528 1369 1370 1432">1. On instruments executed by units under Madhya Pradesh Khadi and Gramodyog Board for obtaining assistance from the Board.</p> <p data-bbox="528 1528 1370 1684">2. On agreements relating to deposit of title deeds executed by industrialists or industrial undertakings in the State in connection with obtaining loans or advances for industrial purposes from Khadi and Village Industries Commission and Madhya Pradesh Khadi and Gramodyog Board.</p> <p data-bbox="528 1726 1370 1789">3. On instruments executed by agriculturists in favour of Banks for securing loans under the Kisan Credit Card Scheme.</p> <p data-bbox="528 1822 1370 1915">4. On instruments executed by Self Help Groups in favour of banks for securing loans for economic development of group members to the limit of 10 Lakh Rupees under the NABARD sponsored schemes.</p>

(1)	(2)	(3)
		<p>5. On instruments of hypothecation executed in favour of banks for securing loan upto Ten Lakh Rupees for agricultural purposes by any Bhumiswami or a pattadhari holding land under Revenue Book Circular -IV-3-10. Also, no stamp duty shall be chargeable for this purpose up to any limit in case of a person belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.</p> <p>6. On instruments executed by herbal or ayurved based industries in favour of any financial institution, to secure repayment of loans obtained for industrial purposes only till the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 as amended in 2012 or Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work plan remains in operation subject to the conditions, that :—</p> <p>(a) the industrial unit is situated in an industrial area or industrial growth centre developed by the Government of Madhya Pradesh or Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam ; and</p> <p>(b) a certificate of eligibility to the effect that the industry is eligible for remission of stamp duty under this order, is issued by the Commissioner of Industry, Government of Madhya Pradesh.</p> <p>7. On instruments of equitable mortgage/hypothecation executed by a new unit/expanded unit/ modernized unit of an Information Technology/ Business Process Outsourcing company for obtaining loans from banks/ financial institutions in Information Technology investment area, subject to the condition that the new unit/ expanded unit/ modernized unit is certified to be an information technology/ Business Process Outsourcing outfit by Information Technology Department or any designated agency notified by them under the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012, as amended 2014 or Madhya Pradesh Business Process Outsourcing/ Business Process Management (Business Process Outsourcing /Business Process Management) Industry Investment Policy, 2014 of the State of Madhya Pradesh.</p> <p>Note—This exemption shall be applicable only till the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012, as amended in 2014 or Madhya Pradesh Business Process Outsourcing/ Business Process Management (BPO/BPM) Industry Investment Policy, 2014 remains in operations.</p> <p>8. Stamp duty is reduced to 0.125 percent of the amount of loan secured on instruments of agreement relating to deposit of title deeds for securing loans upto rupees ten crore in case of micro and small scale industries and on loans for residential purposes.</p> <p>9. On instruments relating to deposit of title deeds, executed by beneficiary in favour of any bank or financial institution for securing repayment of loan or advance upto Rs. One Lakh to be received by him for the purpose of construction of house under the Mukhyamantri Gramin Awas Yojna, subject to the condition that a certificate of eligibility to the effect that the beneficiary is eligible for the remission of stamp duty is issued by the Collector of the concerned district.</p>

(1)	(2)	(3)
		10. On letter of hypothecation accompanying a Bill of Exchange.
		11. On instrument of pawn or pledge of agriculture produce, if unattested.
4.	Article - 9 - Appraisalment or valuation	1. On Appraisalment or valuation made for the information of one party only, and not being in any manner obligatory between parties either by agreement or operation of law. 2. On Appraisalment of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.
5.	Article - 10 - Apprenticeship deed	1. On contracts executed by an adult apprentice or by the guardian of a minor apprentice in favour of an employer under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961). 2. On instruments of apprenticeship by which a person is apprenticed by or at the charge of any public charity.
6.	Article - 14 - Bond	On Bond when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem.
7.	Article - 16 - Cancellation	On instrument of cancellation of a will.
8.	Article - 25 - Conveyance	1. On the instruments of sale executed by Madhya Pradesh Housing Board, Nagar Vikas Pradhikarans, Primary Co-operative Housing Societies and Madhya Pradesh State Co-operative Housing Federation, in relation to house/apartment to the extent of the value of the house/apartment (excluding value of plot) constructed under self financing scheme, with the money received from the purchaser, subject to following conditions, namely :— (a) the chargeable stamp duty shall be exempted /reduced to the extent of 100 percent, 50 percent and 25 percent for the categories of house/apartment of Economically Weaker Section, Low Income Group and Middle Income Group respectively, but no exemption/reduction shall be granted in cases of High Income Group houses/apartments; (b) this exemption/reduction shall be limited only to original allottees under the Self Financing Scheme. (c) economically Weaker Sections, Low Income Group and Middle Income Group shall be as defined and specified by the Department of Urban Development and Environment from time to time: Provided that this remission shall not be available in case of partly constructed house/apartment.
		2. On all kinds of deeds of transfers of agricultural land executed by a person belonging to a Scheduled Tribes in favour of his legal heir/heirs during his life time.

(1)	(2)	(3)
		<p>3. On instruments of sale relating to plot or built up space executed by or on behalf of State Government or any Semi Government Organization or any Government Undertaking, in favour of Information Technology/ Business Process Outsourcing Industries to be established in the State of Madhya Pradesh.</p> <p>4. On instruments of conveyance of industrial units as a going concern, the rate of duty on the value of plant, machinery and other movables conveyed by the instrument shall be one percent, and also the duty chargeable on a single instrument shall not exceed rupees ten crore.</p> <p>5. On instruments of sale executed by or on behalf of financial institutions, Government Agencies, or Private Sector by which space/premises in an Information Technology investment area is transferred in favour of a new unit/ expanded unit/ modernized unit of an IT/ Business Process Outsourcing company, subject to the condition that it is certified to be an information technology/ Business Process Outsourcing outfit by Information Technology Department or any designated agency notified by them under the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012, as amended in 2014 or the Madhya Pradesh Business Process Outsourcing/ Business Process Management (Business Process Outsourcing /Business Process Management) Industry Investment Policy, 2014 of the State of Madhya Pradesh.</p> <p>Note —This exemption shall only be applicable till the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012, as amended 2014 or Madhya Pradesh Business Process Outsourcing/ Business Process Management (BPO/BPM) Industry Investment Policy, 2014 remains in operations.</p> <p>6. On instruments of sale of land executed in favour of persons, whose land has been acquired for Auto Testing Track Project, Pithampur, District Dhar, the chargeable stamp duty shall be remitted subject to the following conditions, namely :—</p> <p>(a) a certificate in the enclosed format from the Collector of Dhar District is obtained , in which the amount of compensation as well as special rehabilitation grant paid for acquisition of land for Auto Testing Track Project , Pithampur is mentioned;</p> <p>(b) the position in clause(a) above, is expressed in the instrument of sale itself; and</p> <p>(c) the eligibility of exemption shall be limited to the amount of stamp duty chargeable on the amount of compensation and special rehabilitation grant.</p> <p>(d) the stamp duty chargeable on such instrument in accordance with the provisions of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) shall be reimbursed by the Commerce, Industry and Employment Department to the Commercial Taxes Department within one month from the date of registration of the instrument.</p>

(1)

(2)

(3)

CERTIFICATE

No.....

Dated.....

Certified that land having area..... hectare of Shri.....R/o Village.....TehsilDistrict Dhar has been acquired for Auto Testing Track Project, Peethampur, District Dhar, for which the amount of compensation and special rehabilitation grant paid is as under :—

Compensation Amount	-
Amount of Special Rehabilitation grant	-
Total	-

2. This certificate shall be applicable for granting exemption of stamp duty on deed of sale of land having area.....hectare situated at Villageexecuted by Shri..... S/o Shri.....in favour of Shri S/o Shri..... . After this registry , the eligibility of exemption of stamp duty shall be available only to the extent of duty chargeable on Rs..... the balance amount of compensation and special rehabilitation grant. But in no case the amount of duty exempted shall exceed the amount of duty chargeable on the sum of amount of compensation and special rehabilitation grant obtained by Shri..... S/o . Shri.....

Collector,
Dhar

7. Stamp duty shall be reduced to half on instrument of sale executed by private persons in favour of a Unit established to generate electricity from non-conventional energy resources subject to the following conditions, namely :—
- (a) a Bank Guarantee of the sum equal to the amount of stamp duty remitted shall be given by the unit in favour of the State Government for a period of 21 months in case of Wind Energy or Solar Energy Projects and for a period of 36 months in case of Bio-gas or Municipal Waste projects; and
- (b) the unit shall be liable to pay the amount of stamp duty remitted to the State Government, if the project is not established within the given period of Bank Guarantee. It shall also be the responsibility of the unit to produce before the District Registrar of the concerned district in which the land purchased is situated, a certificate from the Competent Authority appointed by the Energy Department in this behalf, that the unit has been established before the prescribed period of Bank Guarantee. In case of default, the amount of duty remitted shall be recoverable from the Bank Guarantee tendered by the unit for the purpose.
8. On instruments of transfer of developed land in a Food Park executed by the developer of the park in favour of a Food Processing Unit, the

(1)

(2)

(3)

remission shall be granted subject to the following conditions, namely:—

- (a) the duty charged on the instrument of purchase of the said land shall be adjusted in proportion to the part of land transferred; and
- (b) if on adjustment no duty is required to be paid, then the minimum duty for the transfer shall be rupees five Hundred only.

9. On instruments of sale of land executed in favour of a Goshala registered by the Madhya Pradesh Gopalan Evam Pashudhan Samwardhan Board, Bhopal.

10. On instruments of sale executed by the Madhya Pradesh Housing Board, Nagar Vikas Pradhikarans, Madhya Pradesh State Co-operative Housing Federation or any Urban Local Body in Madhya Pradesh in favour of a person of economically weaker section.

“Economically Weaker Section” shall be as defined and specified by the Department of Urban Development and Environment from time to time. A certificate from the District Collector to this effect shall have to be produced.

The remission of stamp duty shall also be available where the instruments of lease of residential house is executed under the Basic Service For Urban Poor (B.S.U.P.)/Integrated Housing and Development Program(I.H.S.D.P.) in favour of a person, who surrenders the lease already held by him under the Madhya Pradesh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 from the Government on the sites under construction by the said agencies.

11. Instruments of conveyance relating to conversion of lease hold rights into freehold rights of private or nazul land executed by or on behalf of the Government or a Semi-Government Organization or any Government undertaking or Housing Co-operative Society established or registered under any law for the time being in force, shall be chargeable in reduction to the extent only on the amount of consideration paid for the conversion, as set-forth in the instrument, but in no case shall the amount of duty chargeable be less than rupees Five Hundred.

12. On the instrument of sale of sick/closed industrial units which are referred to the Board of Industrial Finance and Reconstruction (B.I.F.R.) or a liquidator or acquired by financial institutions or banks or which fall in the category of sick industry as defined by the Reserve Bank of India, subject to the conditions that,-

- (i) the remission shall be granted only once. On conveyance of unit/assets on which exemption under this notification has been granted once, no exemption in any case shall be granted again;
- (ii) the remission shall be granted only to such closed and sick units in which the high power committee headed by the Chief Secretary of the

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

State of Madhya Pradesh or the Empowered Committee headed by the Collector of the District, as the case may be, constituted under the provisions of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, as amended 2012 or Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work plan has taken a decision to remit the stamp duty;

- (iii) to obtain remission the purchaser of unit will have to produce a scheme for revival of the unit before the competent authority explaining his financial position. Also the purchaser shall give an undertaking before the Competent Authority that he will revive the industry within eighteen months and in case of violation pay the amount of stamp duty remitted along with an interest at the simple rate of 0.75 percent for every month or part thereof from the date of execution of the instrument. For revival he shall be entitled to use the option of diversification of the product; and
- (iv) the remission shall be subject to the certificate of Competent Authority to the effect that the instrument is eligible for remission under this notification. The competent authority authorized to issue the said certificate shall be as under :—

Value /Market value of the unit	Competent Authority
(i) Where it does not exceed one crore rupees	Collector of the concerned District
(ii) Where it exceeds one crore rupees	Divisional Commissioner of the concerned Division.

Note—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, as amended 2012 or Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work-plan.

- 13.** On instruments of sale or merger or amalgamation of industrial units as a going concern stamp duty shall be reduced to a maximum of Ten Lakhs rupees when the amount chargeable exceeds that amount. This reduction in duty shall be applicable subject to the conditions that—
- (a) the said instrument is executed for better capacity utilization of the industry,
- (b) the production of the industry in any three of the immediately preceding five years has not exceeded 50 percent of the installed capacity,
- (c) any bank or financial institution which has extended loan to the industry has considered its loan as non-performing asset for immediately preceding two years,
- (d) the net worth of the industry has been reduced to less than one half of its net worth immediately preceding five years ago; and

(1)

(2)

(3)

- (e) a certificate to the effect that the instrument is eligible for concession under this notification is issued by the Collector of the concerned District in cases where the sale price of the industry does not exceed rupees One Crore and by the Commissioner of the concerned division in other cases.

Note—The exemption under this notification shall be applicable only till the Madhya Pradesh Industrial Promotion policy 2010 as amended 2012 or Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work-plan remains in operation.

14. On instruments of conveyance of 12.713 acre land in the campus of former Higher Secondary Technical School, Shahdol and 8 hectare land of Government Survey No. 556/1 of Village Kalyanpura in Jhabua District in favour of Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal for establishment of University Institute of Technology, a constituent institution of Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal.
15. On instruments of conveyance of 12.120 hectare (25 acres) of total land of four survey numbers i.e. area 7.422 hectare out of 8.359 hectare of survey number 108/3, area 0.063 hectare of survey number 116, area 2.023 hectare of survey number 117/1, and area of 0.612 hectare out of 1.517 hectare of survey number 138, of Village Malsipur in Tehsil Sironj, executed in favour of Rajeev Gandhi Technology University, Bhopal for establishment of University Institute of Technology, Sironj, Vidisha District, a constituent institution of Rajeev Gandhi Technology University, Bhopal.
16. On instruments of purchase of land by displaced/ effected families, to the extent of payable compensation and special rehabilitation grant according to award in cases of land acquisition for establishing Thermal Power Project by M/s New Zone India Private Limited in District Anuppur, subject to the following conditions, namely:—
- (a) the formal sanction shall be issued after the essential amount of expected compensation of stamp duty of rehabilitation package for this project is deposited in designated revenue head of public account by District Collector;
- (b) a certificate in favour of every displaced family under rehabilitation package of this project shall be issued by the District Collector, in which the amount of compensation alongwith amount of special rehabilitation grant payable to displaced person shall be mentioned, and the entitlement of exemption of amount of stamp duty shall also be certified in it. This certificate shall be submitted by the displaced person at the time of registration of deed of acquired land before Registering Officer. The eligibility of exemption of payable stamp duty shall be limited to the extent of amount of compensation and special rehabilitation grant;
- (c) the demand for reimbursement of stamp duty on the basis of registered deeds under this project shall be submitted every month by District Registrar to District Collector, and District Collector shall deposit the amount of reimbursement in account head "0030 Stamps and Registration" within one month from the date of receipt of demand; and

(1)	(2)	(3)
		(d) the exemption on stamp duty shall be valid only for two years from the date of payment of compensation and rehabilitation grant.
		17. On instruments of sale executed to acquire land in favour of member of a family displaced on account of the Narmada Valley Projects subject to the following conditions, namely :—
		(a) a certificate from the Land Acquisition Officer of the project area is obtained in which the total amount including the amount of compensation item wise of his land and other immovable properties, special rehabilitation grant, rehabilitation grant etc., is mentioned. But the amount of transport fee paid for self transportation of goods shall not be included;
		(b) the agricultural land and/ or other immovable property is purchased by the displaced person any where in the State of Madhya Pradesh during the process of rehabilitation;
		(c) the position in clause (a) and (b) above is expressed in the instrument of transfer itself;
		(d) the eligibility of exemption shall be limited to the amount of Stamp duty chargeable on the value of land and/ or immovable property or the total amount of consideration paid to the said displaced person as compensation, special rehabilitation grant, rehabilitation grant, financial assistance etc., whichever is less;
		(e) the Stamp duty chargeable on the instrument will be reimbursed by the Narmada Valley Development Authority to Commercial Tax Department on the basis of demand letter produced by the Sub-Registrar;
		(f) only a displaced family as defined in the Rehabilitation Policy shall be entitled for exemption; and
		(g) such landless displaced person and adult son, who want to purchase agricultural land and / or other immovable property from various amounts such as rehabilitation grant, financial assistance given to purchase productive assets, financial assistance given for developed residential plot at the rehabilitation place, shall also be entitled for the said exemption.
		18. on instruments executed for,—
		(a) transfer of land acquired by the Commerce, Industry and Employment Department of the State Government, to the Special Purpose Vehicle (SPV) Company constituted for establishment of Vikram Udyogpuri Project in District Ujjain under Delhi-Mumbai Industrial Corridor sub-region in the State of Madhya Pradesh;
		(b) for first transfer of a parcel of land by Special Purpose Vehicle to any developer, tenderer, construction company or joint venture in the course of execution of the Master Plan of the above mentioned Vikram Udyogpuri Project. It is clarified that for this purpose, certificate from Managing Director, TRIFAC or any other officer authorised in this behalf shall be required.

(1)	(2)	(3)
9 Article - 26 - Copy or Extract	19. On Assignment of copyright under the Copyright Act, 1957 (14 of 1957).	1. On copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for any public purpose. 2. On copy of extract from any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths and burials.
10 Article - 27 - or Counterpart duplicate	On counterpart of any lease granted to a cultivator when such a lease is exempted from duty.	
11 Article - 34 - Exchange of Property.	Stamp duty chargeable on deeds of exchange of agricultural land upto two hectare is remitted under following conditions, namely :—	(a) the lands being exchanged are agricultural; (b) the lands being exchanged are approximately of equal market value; (c) the lands being exchanged shall not be Nazul or extra-Nazul agricultural lands; (d) the lands being exchanged are situated within the same Revenue Inspector Circle; and (e) provision shall not be misused for evading Ceiling on agricultural land.
12 Article - 35 - Further charge	1. On instruments of further charge without possession executed in favour of banks for securing loan up to ten lakh rupees for agricultural purposes by any Bhumiswami or a pattadhari holding land under Revenue Book Circular -IV-3-10. Also, no stamp duty shall be chargeable for this purpose up to any limit in case of a person belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 2. On instruments executed by agriculturists in favour of Banks for securing loans under the Kisan Credit Card Scheme.	
13 Article - 36 - Gift	1. On instrument of gift executed in favour of the State Government. 2. On instruments of gift of land executed in favour of a Goshala registered by the Madhya Pradesh Gopalan Evam Pashudhan Samwardhan Board, Bhopal. 3. On instruments of gift of Agricultural land executed by a person belonging to Scheduled Tribe in favour of his legal heir/heirs during his life time.	
14 Article - 37 - Indemnity Bond	On indemnity bonds to be executed by the guardians of minor dependents of deceased members of the Coal Mines Provident Fund for the purpose of obtaining refund of the fund accumulations.	
15 Article - 38- Lease	1. On lease deeds executed in relation to the constructed sheds and land allotted to unemployed engineers in notified industrial area by the Commerce, Industries and Employment Department for running their own industry stamp duty shall be remitted subject to the following	

(1)	(2)	(3)
		conditions, namely:—
		(a) the applicant or all the partners of the firm are either degree or diploma-holder engineer;
		(b) his total income or the income of his partners from all sources shall not exceed One Thousand rupees per month.
		2. On instruments of lease executed by Government in favour of Madhya Pradesh State Tourism Corporation in relation to the land on which the units of the said corporation are situated.
		3. On instruments of lease of the Government land executed by the Tourism Department of State of Madhya Pradesh for tourism projects.
		4. On instruments of Lease relating to plot or built up space executed by or on behalf of State Government or any Semi Government Organization or any Government Undertaking, in favour of the Information Technology Industries to be established in the State of Madhya Pradesh.
		5. On lease deed executed in favour of a Fisherman Co-operative Society registered or deemed to be registered under the Madhya Pradesh Co-operative societies Act, 1960(No. 17 of 1961) relating to catch fishes from a reservoir and measuring not more than two thousand hectares in area.
		6. On instruments of lease executed by a Gram Panchayat in favour of fishermen to catch fishes from the reservoir.
		7. On instrument of lease executed by or on behalf of Financial Institutions, Government Agencies, or Private Sector by which space/premises in an Information Technology investment area is transferred in favour of a new unit / expanded unit/ modernized unit of an Information Technology/ Business Process Outsourcing company and is certified to be an Information Technology/ Business Process Outsourcing outfit by Information Technology Department or any designated agency notified by them under the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012 as amended in 2014 or the Madhya Pradesh Business Process outsourcing/ Business Process Management (Business Process Outsourcing /Business Process Management) Industry Investment Policy, 2014 of the State of Madhya Pradesh.
		Note —This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012, as amended in 2014 or the Madhya Pradesh Business Process outsourcing/ Business Process Management (Business Process Outsourcing /Business Process Management) Industry Investment Policy, 2014 remains.
		8. On instruments of amendment of lease executed by the Commerce, Industries and Employment Department of Madhya Pradesh or Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam in favour of herbal or ayurved based industry due to change of name of the industry, addition of a

(1)

(2)

(3)

partner/ partners, collaboration or its reconstruction, subject to the following conditions, namely :—

- (a) the industrial unit is situated in an industrial area or industrial growth centre developed by the Government of Madhya Pradesh or Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam ; and
- (b) a certificate of eligibility to the effect that the industry is eligible for remission of stamp duty is issued by the Commissioner of Commerce, Industries and Employment Department, Government of Madhya Pradesh.

Note—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, as amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work-plan remains.

9. On instruments of lease executed by the Madhya Pradesh Housing Board, Nagar Vikas Pradhikarans, Madhya Pradesh State Co-operative Housing Federation or any urban Local Body in Madhya Pradesh in favour of a person of Economically Weaker Section as defined and specified by the Urban Development and Environment Department from time to time. A certificate from the District Collector to this effect shall have to be produced.

The remission of stamp duty shall also be available where the instrument of lease of residential house is executed under the Basic Service For Urban Poor (B.S.U.P.)/Integrated Housing and Development Program(I.H.S.D.P.) in favour of a person, who surrenders the lease already held by him under the Madhya Pradesh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhinyam, 1984 (No. 15 of 1984) from the Government on the sites under construction by the said agencies.

10. On instrument of amendment of lease of land and sheds in the Industrial Areas and Industrial Growth Centers, executed by or on behalf of the State Government or any undertaking of the State Government, chargeable in reduction to the extent of only the amount of transfer fees set-forth in the instrument treating it as the amount of market value for the lease:

Provided that in each case certificate shall be produced by the parties from the Collector of Stamps of the concerned District, where the land is situated, to the effect that the proper duty has been paid on the instruments on the basis of which the amendment in the lease was permitted by the Government or the concerned undertaking of the Government.

Note—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 as amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work-plan remains.

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

- 11.** On instrument of lease of sick/closed industrial units which are referred to the Board of Industrial Finance and Reconstruction (B.I.F.R.) or a liquidator or acquired by financial institutions or banks or which fall in the category of sick industry as defined by the Reserve Bank of India, subject to the conditions, that –
- (a) the remission shall be granted only once. The unit/assets on which exemption has been granted once, no exemption in any case shall be granted again;
- (b) the remission shall be granted only to such closed and sick units in which the high power committee headed by the Chief Secretary of the State of Madhya Pradesh or the Empowered Committee headed by the Collector of the District, as the case may be, constituted under the provisions of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, as amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work plan has taken a decision to remit the stamp duty.
- (c) to obtain remission, the lessee of the unit shall have to produce a scheme for revival of the unit before the Competent Authority explaining his financial position. Also the lessee shall give an undertaking before the Competent Authority that he shall revive the industry within eighteen months and in case of violation, he shall pay the amount of stamp duty remitted along with an interest at the simple rate of 0.75 percent for every month or part thereof from the date of execution of the instrument. For revival he shall be entitled to use the option of diversification of the product; and
- (d) the remission shall be subject to the certificate of Competent Authority to the effect that the instrument is eligible for remission under this notification. The Competent Authority authorized to issue the said certificate in the following manner, namely :—

Value /Market value of the unit	Competent Authority
(i) Where it does not exceed Rupees One Crore	Collector of the concerned District
(ii) Where it exceeds Rupees One Crore	Divisional Commissioner of the concerned Division.

Note.—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, as amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work- plan.

- 12.** On instruments of lease executed to acquire land in favour of member of a family displaced on account of the Narmada Valley Projects subject to the following conditions, namely :—
- (a) a certificate from the land acquisition officer of the project area is obtained in which the total amount including the amount of compensation item wise of his land and other immovable properties, special rehabilitation grant, rehabilitation grant etc., is mentioned. But the amount of transport fee paid for self transportation of goods shall not be included;

(1)

(2)

(3)

- (b) the Agricultural land and/ or other immovable property is purchased by the displaced person any where in the State of Madhya Pradesh during the process of rehabilitation;
- (c) the position in clause (a) and (b) above is expressed in the instrument of transfer itself;
- (d) the eligibility of exemption shall be limited to the amount of Stamp duty chargeable on the value of land and/ or immovable property or the total amount of consideration paid to the said displaced person as compensation, special rehabilitation grant, rehabilitation grant, financial assistance etc., whichever is less;
- (e) the stamp duty chargeable on the instrument will be reimbursed by the Narmada Valley Development Authority to the Commercial Tax Department on the basis of demand letter produced by the Sub-Registrar;
- (f) only a displaced family as defined in the Rehabilitation Policy shall be entitled for exemption; and
- (g) such landless displaced person and adult son, who want to purchase agricultural land and / or other immovable property from various amounts as Rehabilitation grant, financial assistance given to purchase productive assets, financial assistance given for developed residential plot at the rehabilitation place, shall also be entitled for the said exemption.
13. On lease executed in case of a cultivator and for the purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium, when a definite term is expressed and such term does not exceed one year or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees.
14. Stamp duty chargeable under this article is reduced to rupees one thousand on agreements executed by a State Government Undertaking giving right to collect tolls on construction of road, bridge etc. under the Build, Operate and Transfer (B.O.T.) Scheme.
- 16 **Article - 43 -
Mortgage deed**
1. On instrument of conveyance of mortgaged property executed by the Madhya Pradesh Housing Board established under the Madhya Pradesh Housing Board Act, 1960 in favour of any officer of the Government of Madhya Pradesh on the repayment of an advance received by him from the said Board for the purpose of constructing a dwelling house for his own residential use.
2. On instruments of mortgage executed by unemployed engineers to secure loans upto One Lakh Rupees from Madhya Pradesh Finance Corporation by the Commerce, Industries and Employment Department for running their own industry on the following conditions, namely :—
- (a) The applicant or all the partners of the firm are either degree or diploma-holder engineers, and

(1)	(2)	(3)
		(b) His total income or the income of all partners or income of his/her parents does not exceed One Thousand rupees per month.
		3. On instruments of mortgage without possession executed by small scale Industrial units for obtaining financial assistance up to Rs. 7.5 lakhs from the Madhya Pradesh Finance Corporation.
		4. On instruments of mortgage without possession executed by a "New Industry" to be set up in the field of energy generation and mineral oil refining, for raising capital to set up the industry, to Five Lakhs rupees where the duty payable on such deed exceeds that amount.

Explanation—For this purpose "New Industry" means an industrial unit which has not gone into production before 19.08.1999 and is so certified by the Commissioner of Commerce, Industries and Employment or any officer appointed by him in this behalf.

5. On instruments of mortgage without possession executed by industrialists or industrial undertakings in the State in connection with obtaining loans or advances for industrial purposes from the Khadi and Village Industries Commission and Madhya Pradesh Khadi and Gramodyog Board.
6. On instruments of mortgage without possession executed by industrialists or Industrial Undertaking in the State of Madhya Pradesh in connection with obtaining term loan, for the purpose of setting up a new industry, or for the expansion, diversification or modernisation of a industry from the Banks/Financial Institutions to the extent as specified in the table given below:—

TABLE

Class of the District/Blocks (as per classification by the Commerce, Industries and Employment Department, Government of Madhya Pradesh)	<u>Extent of remission/reduction of Stamp Duty</u>	
	For Small Scale Industry	For Medium and Large Industry
(1)	(2)	(3)
Backward "B"	100%	50%
Backward "C"	100%	100%
Blocks which have no industry	100%	100%

The aforesaid remission or reduction shall be subject to the conditions, namely :—

- (a) The remission in case of small scale industry shall be given only in those cases where the amount of capital investment on plant and machinery exclusively is more than rupees Five Lakh and it shall not come in category of service or trade;

(1)

(2)

(3)

- (b) the entire loan amount shall be spent for the development of the industry in the State of Madhya Pradesh; and
- (c) a certificate of eligibility to the effect that the industry obtaining the loan is eligible for the remission or reduction of stamp duty, is to be issued by the Commissioner Commerce, Industries and Employment, Madhya Pradesh.
7. On instruments of mortgage without possession executed by a new unit/ expanded unit/ modernized unit of an Information Technology/ Business Process Outsourcing company certified to be an information technology/ Business Process Outsourcing outfit by Information Technology Department or any designated agency notified by them under the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012 as amended in 2014 or the Madhya Pradesh Business Process outsourcing/ Business Process Management (Business Process Outsourcing /Business Process Management) Industry Investment Policy, 2014 of the State of Madhya Pradesh.

Note.—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012 as amended 2014 or Madhya Pradesh Business Process outsourcing/ Business Process Management (BPO/BPM) Industry Investment Policy, 2014.

8. On instruments of mortgage without possession executed by agriculturists in favour of Banks for securing loans under the Kisan Credit Card Scheme.
9. On instruments of mortgage without possession executed by Self Help Groups in favour of Banks for securing loans for economic development of group members to the limit of rupees Ten Lakh under the NABARD sponsored schemes.
10. No stamp duty shall be chargeable on instruments of mortgage without possession executed in favour of Banks for securing loan up to rupees Ten Lakh for agricultural purposes by any Bhumiswami or a pattadhari holding land under Revenue Book Circular -IV-3-10. Also, no stamp duty shall be chargeable for this purpose upto any limit in case of a person belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
11. On instruments executed by herbal or ayurved based industry in favour or any financial institution to secure repayment of loans obtained for industrial purposes. remission shall be subject to the conditions, namely :—
- (a) the industrial unit is situated in an industrial area or industrial growth centre developed by the Government of Madhya Pradesh or the Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam ; and
- (b) a certificate of eligibility to the effect that the industry is eligible for remission of stamp duty under this order, is issued by the Commissioner of Commerce, Industries and Employment, Madhya Pradesh.

(1)	(2)	(3)
		<p>Note.—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 as amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work plan remains.</p>
		<p>12. On instruments of simple mortgage executed by beneficiary in favour of any bank or financial institution for securing the repayment of loan or advance upto rupees One Lakh to be received by him for the purpose of construction of house under the Mukhyamantri Gramin Awas Yojna, subject to the condition that a certificate of eligibility to the effect that the beneficiary is eligible for the remission of stamp duty is issued by the Collector of the concerned district.</p>
		<p>13. On instruments of mortgage without possession executed to obtain loans from Banks and Financial Institutions for setting up a new Food Processing Industry, that uses perishables items included in Annexure-3 of the Madhya Pradesh Food Processing Policy, 2008 as raw material or for the expansion, diversification or modernization of such industry in the State of Madhya Pradesh.</p>
		<p>14. Instrument executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883 (19 of 1883) or the Agriculturist's Loans Act, 1884 (12 of 1884) or by their sureties as security for the repayment of such advances.</p>
17 Article - 46 - Note or Memorandum		<p>On Note or Memorandum send by a broker or agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal or a Government Security or a share, scrips, stock, bond, debenture, debenture-stock or other marketable security of like nature in or of any incorporated company or other body corporate, an entry relating to which is required to be made in clearance lists described in clauses (a) and (b) of article 22.</p>
18 Article - 48 - Partition		<p>1. On deeds of partition of agricultural land between joint khatedars the chargeable stamp duty shall be remitted under following conditions, namely :—</p> <p>(a) There is neither any dispute nor any case pending in any court regarding the land to be partitioned; and</p> <p>(b) The land being partitioned is not within the provisions of ceiling.</p> <p>2. On such instrument of partition by which exclusively the agricultural land obtained in inheritance is partitioned amongst the members of joint family.</p>
19 Article - 53 - Re-conveyance of Mortgaged Property		<p>On instrument of reconveyance of mortgaged property executed by the Madhya Pradesh Housing Board established under the Madhya Pradesh Housing Board Act, 1960 in favour of any officer of the Government of Madhya Pradesh on the repayment of an advance received by him from the said Board for the purpose of constructing a dwelling house for his own residential use.</p>

(1)	(2)	(3)
20 Article - 56 - Security bond not being a Mortgage deed	<ol style="list-style-type: none"> 1. On security bond executed by the surety of an officer of the Government of Madhya Pradesh for the due performance of the terms and conditions of the mortgage deed in Form V presented under the Madhya Pradesh Housing Board Act, 1960. 2. On security bond executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem. 3. On security bond executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883 (19 of 1883) or the Agriculturist's Loans Act, 1884 (12 of 1884) or by their sureties as security for the repayment of such advances. 4. On security bond executed by officers of the Government or their sureties to secure the due execution of an office or the due accounting for money or other property received by virtue thereof. 	
21 Article - 57 - Settlement	On instrument of dowry executed on the occasion of marriage between Mohammedans, whether the deed was executed before or after the marriage.	
22 Article - 60 - Surrender of lease.	On surrender of lease, when such lease is exempted from duty.	
23 Article - 61 - Transfer	<p>On transfers by endorsement—</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) of a bill of exchange, cheque or promissory note; (b) of a bill of lading, delivery order, warrant for goods, or other mercantile documents of title to goods; (c) of a policy of insurance; and (d) of securities of the Central Government. 	
24 Article - 62 - Transfer of lease	On transfer of any lease exempt from duty.	

Note :—For the purpose of this notification—

1. the "Bank" includes—

- (a) a Banking Company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) ;
- (b) the State Bank of India , constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);
- (c) a Subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);
- (d) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970);
- (e) the Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited, Bhopal;
- (f) Agricultural Finance Corporation Limited, a company incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

- (g) a Regional Rural Bank established under sub-section (1) of Section 3 of Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976);
- (h) a Central Development Bank within the meaning of clause (b) of Section 2 of the Madhya Pradesh Sahakari Bhoomi Vikas Bank Adhiniyam, 1966 (28 of 1966) or a Development Bank within the meaning of clause (d) of Section 2 of the said Act; and
- (i) the Agricultural Refinance Corporation constituted under the Agricultural Corporation Act, 1963 (10 of 1963).

2. "Financial institution" includes -

- (a) Madhya Pradesh Finance Corporation;
- (b) Madhya Pradesh Audyogic Vikas Nigam;
- (c) a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949(10 of 1949) ;
- (d) State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);
- (e) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);
- (f) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970); and
- (g) a public financial institution as specified in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

3. "Agriculture purpose" means making land fit for cultivation of land, improvement of land including development of sources of irrigation , raising and harvesting of crops, horticulture, forestry, planting and farming, cattle breeding, animal husbandry, dairy farming, seed farming, pisciculture, apiculture, sericulture, piggery and poultry farming and the acquisition and implementation of machinery in connection with any such activity except Truck, Mini Truck, Matador and Drilling Machine.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secretary.